दिनांक 05–03–2013 को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बिजली वितरण की समस्याओं के संबंध में सभी जिलाधिकारियों, प्रभारी प्रधान सचिवों एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के पदाधिकारियों के साथ विडियो कॉफ्रेन्सिंग की कार्यवाही।

1. सूची संलग्न।

2. सर्वप्रथम मुख्य सचिव, बिहार ने बताया कि पिछले कुछ महिनों से जिलाधिकारियों एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के पदाधिकारियों के साथ विडियो कॉफ्रेन्सिंग किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप बिजली व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। आज पूरे राज्य में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमरों की संख्या 50 के अन्तर्गत है। राज्य में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घण्टा के अन्दर बदलने के लक्ष्य को एक महीने में प्राप्त करना है। अधिक संख्या में खराब हो रहे वितरण ट्रान्सफॉरमरों के कारणों की जाँच कर इस पर रोक लगाया जाना बहुत ही आवश्यक है। टी.आर.डब्ल्यू. में वितरण ट्रान्सफॉरमर की मरम्मति में त्रुटियाँ है उसमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

3. मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्व वसूली में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है। विद्युत आपूर्त्ति के अनुरूप राजस्व की वसूली सुनिश्चित की जानी है अन्यथा ज्यादा दिनों तक बिजली खरीद कर उसकी आपूर्त्ति नहीं की जा सकती है। जिलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि राजस्व वसूली संबंधी कार्यों का गंभीरता से अनुश्रवण करते हुए निश्चित रूप से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राजस्व वसूली की जानी है। राजस्व वसूली में बढ़ोत्तरी हेतु अमीटरीकृत उपभोक्ताओं (निजी एवं सरकारी) के यहाँ शत–प्रतिशत मीटर अधिष्ठापित किया जाना, शत–प्रतिशत मीटर रिडिंग, मीटर रिडिंग के आधार पर शत प्रतिशत विपत्रीकरण तथा शत प्रतिशत विपत्र वितरण के कार्यों को चरणबद्ध/लक्ष्यबद्ध ढ़ंग से सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करना होगा। विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु कार्यरत काउण्टर के अतिरिक्त काउण्टर खोले जाने पर भी विचार किया जाना है ताकि उपभोक्ताओं को भुगतान हेतु अधिक दूरी तय नहीं करना पड़े एवं उपभोक्ताओं को भुगतान करने में सहुलियत हो सके।

4. मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि विद्युत आपूर्त्ति के अनुरूप राजस्व संग्रहण सुनिश्चित किया जाना है अन्यथा बाध्य हो कर राजस्व वसूली के आधार पर ही जिलों को विद्युत आपूर्त्ति की जायगी।

5. पुराने एवं जर्जर तारो को बदलने के लिए रिकंडक्टरिंग की योजना चल रही है उसके अन्तर्गत जिलाधिकारियों द्वारा दुर्घटना–संभावित जगहों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता का निर्धारण किया जाना है। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि रिकंडक्टरिंग हेतु विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडलवार निर्धारित मासिक लक्ष्यानुसार कार्य सुनिश्चित कराया जाना है।

6. पावर कम्पनी द्वारा पूरे राज्य में विद्युत वितरण प्रणाली का विश्लेषण किया गया है। प्रत्येक चरण पर matching होने पर ही नियमित रूप से उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्त्ति की

जा सकती है। भविष्य में जो योजनाएँ स्वीकृत होगी उसके अन्तर्गत विद्युत वितरण के constraints को दूर किया जाना है।

7. मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि राजस्व वसूली में सुधार लाने के लिए निश्चित रूप से बिजली की चोरी रोकनी होगी, उपभोक्ताओं को नियमित रूप से समय पर विद्युत विपत्र उपलब्ध कराना होगा। जो भी बिजली की चोरी कर रहे हैं उनके साथ सख्ती से पेश आना होगा। मुख्य सचिव ने बिजली चोरी रोकने के लिए सघन अभियान चलाने का निदेश दिया। इस काम में पुलिस की अपेक्षित मदद ली जायगी। बिजली चोरी रोकने की कार्य–योजना तैयार करने के लिए अगली विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में आरक्षी महानिदेशक एवं जिले के आरक्षी अधीक्षक को भी शामिल किया जायगा।

8. राज्य में विद्युत उत्पादन, संचरण एवं वितरण संबंधी योजनाओं हेतु भू–अर्जन किया जा रहा है। जिलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि भू–अर्जन में आ रही समस्याओं का ससमय निराकरण कराया जाना है। यदि राज्य स्तर से किसी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो उसे बताया जाना है।

9. ऊर्जा सचिव ने बताया कि पावर कम्पनी के रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण बिहार में भोजपुर जिला के कटैया प्रखण्ड में एकमात्र वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे ग्रामीणों के विरोध के कारण नहीं बदला जा सका। ग्रामीणों का कहना है कि वितरण ट्रान्सफॉरमर की क्षमता विस्तार कर बदला जाय जबकि नियमित उपभोक्ताओं का विद्युत भार वर्त्तमान वितरण ट्रान्सफॉरमर की क्षमता से ज्यादा नहीं है। उत्तर बिहार में 52 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदल दिया जायगा। मार्च,2013 में निर्धारित अवधि 24 घण्टा/72 घण्टा क्रमशः शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर को बदल दिये जाने की स्थिति में पावर कम्पनी आ जायगी तथा पूरे राज्य में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर की संख्या शून्य हो जायगी। बार–बार क्षेत्रीय अभियन्ताओं को निदेश दिया जा रहा है कि वितरण ट्रान्सफॉरमर में सभी preventive measures अपनाये जायें यथा उपयुक्त साईज का फ्यूज, लोड–बैल्सिंग, अर्थिंग, सिलिका जेल की जाँच, वितरण ट्रान्सफॉरमर में उपयुक्त स्तर तक ट्रान्सफॉरमर ऑयल का रहना इत्यादि। पुनः सभी क्षेत्रीय अभियन्ताओं को निदेश दिया गया कि गर्मी का मौसम आने वाला है इसके पूर्व सभी वितरण ट्रान्सफॉरमर में preventive measures सुनिश्चित कर लिया जाना है। जिलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि सभी वितरण ट्रान्सफॉरमरों में preventive measures अपनाये गये हैं या नहीं इसकी समीक्षा कर लें। फरवरी,2013 में उत्तर बिहार में 314 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हुए हैं। कई जिलों में वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होने की संख्या अधिक है यथा दरभंगा –28, मधुबनी –21, पूर्णियाँ–17, समस्तीपुर–18 । इन जिलों के जिलाधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने स्तर से इसकी समीक्षा कर यह सुनिश्चित करेंगे कि वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब ना हो। पटना जिला में फरवरी माह में 85 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हुआ है जो चिन्ताजनक है। निदेश दिया गया कि क्षेत्रीय अभियन्ताओं द्वारा वितरण ट्रान्सफॉरमर क्यों खराब हुआ, इसकी जाँच

की जानी है तथा रख–रखाव में कमी है तो उसे दूर किया जाना है। नियमित उपभोक्ताओं का लोड वितरण ट्रान्सफॉरमर की क्षमता से अधिक है तो निश्चित रूप से शीघ्र उसका क्षमता विस्तार किया जाना है यदि बिजली चोरी के कारण लोड ज्यादा है तो निश्चित रूप से बिजली चोरी रोकी जानी है। वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होने की स्थिति में कनीय विद्युत अभियन्ता का रिपोर्ट अनिवार्य होगा तथा एक ही स्थान पर दो बार वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होने पर सहायक विद्युत अभियन्ता से रिपोर्ट लिया जायगा। खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर बदले जाने हेतु माँग–पत्र (Requisition) के साथ वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होने के कारणों से संबंधित कनीय विद्युत अभियन्ता/सहायक विद्युत अभियन्ता का रिपोर्ट निश्चित रूप से भेजा जाना है। संबंधित कनीय विद्युत अभियन्ता/ सहायक विद्युत अभियन्ता की लापरवाही के कारण वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होता है तो निश्चित रूप से उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जानी है। मार्च,2013 से पावर कम्पनी के वेबसाईट पर वितरण ट्रान्सफॉमर के खराब होने एवं बदले जाने संबंधी सूचना उपलब्ध कराया जाना है।

10. ऊर्जा सचिव ने कहा कि राज्य में 09 लाख अमीटरीकृत उपभोक्ता हैं जिनके यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना है। शत–प्रतिशत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किये जाने के लिए एजेन्सी की नियुक्ति हेतु विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल स्तर पर शक्ति प्रदत्त कर दी गयी है। हर अवर प्रमंडल में कम–से–कम एक एजेन्सी निश्चित रूप से नियुक्त किया जाना है तथा अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होने की स्थिति में फीडरवार एजेन्सी रख कर अप्रैल,2013 तक निश्चित रूप से सभी अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर का अधिष्ठापन का कार्य सम्पन्न करा लिया जाना है, मई,2013 में सभी उपभोक्ताओं को बिलिंग सायकल में लाया जाना है तथा जून,2013 में शत–प्रतिशत विपत्रीकरण मीटर रिडिंग के आधार पर सुनिश्चित किया जाना है। निदेश दिया गया कि शत–प्रतिशत मीटरीकृत उपभोक्ता का मार्च में मीटर रिडिंग के आधार पर विपत्रीकरण सुनिश्चित किया जाना है, जिलाधिकारी अपने स्तर पर इसकी समीक्षा करेंगे।

11. राजस्व वसूली हेतु सघन अभियान चलाया जाना है तथा बकायेदारों के विरूद्ध निलामपत्र वाद दायर किया जाना है। बिजली की चोरी के विरूद्ध भी सघन रूप से छापेमारी की जानी है तथा चोरी करने वालों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जानी है तथा बिजली चोरों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी है। फरवरी,2013 में उत्तरी बिहार में 762 एवं दक्षिणी बिहार में 1014 बिजली चोरी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है, करीब 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लगभग 2200 बकायेदारों का विद्युत संबंध विच्छेद हुआ है तथा करीब रू0 11.00 करोड़ का दंड भारित किया गया है जिसमें से करीब रू02.70 करोड़ की वसूली हुई है। बिजली चोरी के विरूद्ध एफ.आई.आर. बहुत हो रहा है परन्तु follow up नहीं हो रहा है। जिलाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि आरक्षी अधीक्षक के साथ होने वाली बैठक में इस पर चर्चा की जानी है तथा त्वरित कार्रवाई करायी जानी है। राज्य के कई जिलों का ए.टी.एण्ड सी. लॉस 85 प्रतिशत से ज्यादा है। 80 प्रतिशत से अधिक ए.टी.एण्ड

सी. वाले जिलों की संख्या 10 से ज्यादा है, इन जिलों में ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। एफ.आई.आर. एवं नीलामपत्र वाद के निष्पादन में जिलधिकारियों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

12. प्रत्येक विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल में होमगार्ड को प्रतिनियुक्त किया जाना है तथा बिजली चोरी के विरूद्ध ज्यादा–से–ज्यादा छापेमारी की जानी है, जिलाधिकारी इसकी समीक्षा करते रहेंगे। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ होमगार्ड के साथ छापेमारी नहीं की जा सकती है वैसे जगहों में बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी हेतु जिलाधिकारी द्वारा पुलिस–बल उपलब्ध कराया जाना है। छापेमारी हेतु प्रत्येक प्रमंडल को गाड़ी उपलब्ध कराया गया है। उचित दर पर मासिक आधार पर प्रमंडल को गाड़ी उपलब्ध कराये जाने हेतु शीघ्र आदेश निर्गत कर दिया जायगा।

13. सरकारी कार्यालयों एवं आवासों में बिजली कनेक्शन नहीं रहने, मीटर खराब रहने एवं मीटर नहीं रहने के मामले सामने आते हैं। सरकारी कार्यालयों एवं आवासों में विधिवत कनेक्शन एवं नियमित विपत्रीकरण एवं भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। निदेश दिया गया कि 31 मार्च,2013 तक राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों एवं आवासों में मीटर अधिष्ठापित किया जाना है तथा मीटर पठन के आधार पर नियमित रूप से विपत्रीकरण किया जाना है। जिलाधिकारी आश्वस्त हो लें कि उनके जिले के सभी प्रखण्डों, थाना या सरकारी कार्यालयों एवं आवासों में मीटर अधिष्ठापित हो गया है तथा मीटर पठन के आधार पर विपत्रीकरण हो रहा है।

14. विद्युत विपत्र के भुगतान काउण्टर के संबंध में पावर कम्पनी द्वारा कई निदेश जारी किये गये हैं यथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों से भुगतान काउण्टर पर काम लिया जाना, हर प्रखंड में माह में एक दिन तय कर विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु काउण्टर खोला जाना इत्यादि। जिलाधिकारियों से अनुरोध है कि किस प्रखंड में माह के किस दिन भुगतान काउण्टर खोला जाय, तय किया जाना है तथा इसे प्रचारित करवा दिया जाना है।

15. विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल Accounting Unit है तथा लेखा पदाधिकारी को पदस्थापित कर दिया गया है। अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया हो रही है।

16. अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक ने बताया कि जुलाई,2012 से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार (CEA) द्वारा स्वीकृत specification पर three star rated वितरण ट्रान्सफॉरमर का क्रय किया जा रहा है जिसके HT & LT side में protective features है। जिस वितरण ट्रान्सफॉरमर पर बार–बार ट्रिपिंग होता है उसकी क्षमता विस्तार का प्रस्ताव ससमय भेजा जाना है ना कि वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होने पर क्षमता विस्तार किया जाना है। वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होने की जाँच तकनीकी विश्लेषण के साथ किया जाना है। जब भी कोई वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होता है वहाँ निश्चित रूप से कनीय विद्युत अभियन्ता को जाना है तथा खराब होने के कारणों की जाँच की जानी है तथा वितरण ट्रान्सफॉरमर बदले जाने के समय भी कनीय विद्युत अभियन्ता को उपस्थित रहना है ताकि ट्रान्सफॉरमर बदले जाने में हो रही

दलाली पर रोक लगाया जा सके। एक ही स्थान पर बार–बार वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होने की स्थिति में सहायक विद्युत अभियन्ता/विद्युत कार्यपालक अभियन्ता को जाना है तथा जाँच की जानी है जिससे यह भी पता चल सके कि ट्रान्सफॉरमर में protective measures अपनाया गया था या नहीं।

17. अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा निदेश दिया गया कि 'Own Your Circle' एवं 'Own Your Division' के नोडल ऑफिसर माह में दो बार संबंधित क्षेत्र का दौरा करेंगे। दौरे के दरम्यान पूरे क्षेत्र का जायजा लेंगे तथा संबंधित जिलाधिकारी/प्रमंडल आयुक्त से भी मिलेंगे।

18. मीटरींग के लिए इनर्जी मीटर सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। निदेश दिया गया कि मीटर उपलब्ध होते ही एम.आर.टी. द्वारा मीटरों को टेस्ट करा लिया जाना है।

19. पिछले विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में दो जिलाधिकारियों द्वारा ट्रान्सफॉरमर ऑयल उपलब्ध कराये जाने के लिए अनुरोध किया गया था। तत्पश्चात् सभी विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल को ट्रान्सफॉरमर ऑयल उपलब्ध कराये जाने के लिए आवश्यक निर्णय लिया गया है एवं मार्च,2013 तक सभी विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडलों को 1000 लिटर ट्रान्सफॉरमर ऑयल उपलब्ध करा दिया जायगा।

20. ट्रान्सफॉरमर ऑयल की चोरी अभी भी हो रही है। जो खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर टी.आर.डब्ल्यू. में भेजा जाता है उसमें ट्रान्सफॉरमर ऑयल की मात्रा कम रहती है जो चिन्ताजनक है।

21. प्रत्येक वितरण ट्रान्सफॉरमर के पाँच पायलट कंज्यूमर की सूची भेजी जानी थी जो आंशिक रूप से प्राप्त हुआ है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में निश्चित रूप से सभी वितरण ट्रान्सफॉरमर के पाँच पायलट कंज्यूमर की सूची निर्धारित प्रपत्र में मुख्यालय को उपलब्ध करा दिया जाना है।

22. नये उपभोक्ता बनाये जाने हेतु आयोजित शिविरों में अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसका निष्पादन शीघ्र किया जाना है।

23. पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के भूमि एवं भवन के पुनर्मूल्यांकन संबंधी प्रतिवेदन कई जिलों से प्राप्त नहीं हुआ है उसे जिलाधिकारियों द्वारा शीघ्र भेज दिया जाना है ताकि 31 मार्च,2013 तक पावर कम्पनियों का सही ब्योरा तैयार किया जा सके।

24. प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड ने बताया कि कुछ विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल की कार्य–संस्कृति बहुत ही खराब पाया गया है। अधिकांश विद्युत कार्यपालक अभियन्ता अपने मुख्यालय में नहीं रहते हैं। जिलाधिकारी को सुनिश्चित करना है कि क्षेत्रीय पदाधिकारी अपने मुख्यालय में रहे। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी अपना स्थानीय आवासीय पता देंगे एवं जिलाधिकारी उसका सत्यापन करायेंगे तथा क्षेत्रीय पदाधिकारी अपने मुख्यालय में रहते हैं या नहीं उसकी जाँच करायी जानी है। जरूरत महसूस करने पर जिलाधिकारी द्वारा इसकी जाँच हेतु प्राईवेट एजेन्सी भी

रखा जाना है। जाँच के दौरान यदि कोई क्षेत्रीय पदाधिकारी अनाधिकृत रूप से मुख्यालय में अनुपस्थित पाये जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके विरूद्ध जिलाधिकारी द्वारा रिपोर्ट किया जाना है।

25. प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) ने बताया कि सभी आपूर्त्ति प्रमंडल Accounting Unit हो गया है। रिवॉल्विंग फण्ड की राशि बढ़ायी जा रही है। मीटर पठन/विपत्र वितरण एजेन्सी एवं मीटर अधिष्ठापन एजेन्सी विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल स्तर पर नियुक्त कर दिया गया है।

26. प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) ने बताया कि input base franchisee की व्यवस्था कर दी गयी है। 115 franchisees के साथ अगले 15 दिनों में एग्रिमेन्ट हो जायगा।

27. निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी के जनता दरबार में विद्युत संबंधी जो शिकायतें आती है उसका निष्पादन 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से किया जाना है।

28. जिलाधिकारी अपने जिले के 100 बड़े बकायेदारों, जिन पर सर्टिफिकेट केस दर्ज नहीं हुआ है, से राजस्व वसूली में विशेष रूप से मदद करेंगे।

29. प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड ने बताया कि बिजली उपभोक्ता वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होने, जर्जर तार इत्यादि से संबंधित शिकायतें अब सीधे मुख्यालय में टोल फ्री नं0 18003456198 पर दर्ज करा सकते हैं जिसकी दैनिक समीक्षा मुख्यालय स्तर पर की जायगी। यह भी बताया गया कि विद्युत विपत्र संबंधी समस्याओं के लिए अलग से टोल फ्री नं0 शीघ्र जारी किया जायगा।

30. निदेश दिया गया कि अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगाये जा रहे हैं उसे एक माह में बिलिंग सायकल में आना है तथा जो पुराने मीटरीकृत उपभोक्ता हैं वे भी निश्चित रूप से बिलिंग साकयल में आ जायें। राजस्व संग्रहण में प्रगति को ध्यान में रखते हुए शहरों को सेक्टर में बाँटा जाना है तथा पूरे माह राजस्व संग्रहण किया जाना है।

31. जिन जिलों में नया टी.आर.डब्ल्यू. का निर्माण हो रहा है वहाँ के जिलाधिकारी से अनुरोध है कि टी.आर.डब्ल्यू. के निर्माण कार्य की समीक्षा कर उसे लक्ष्यानुसार पूरा कराना सुनिश्चित करेंगे।

32. निदेश दिया गया कि गर्मी के मौसम के पहले रिकंडक्टरिंग का कार्य लक्ष्य के अनुसार निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाना है।

33. वितरण ट्रान्सफॉरमर की क्षमता विस्तार नियमित उपभोक्ता के वास्तविक लोड के आधार पर ही होना है। यदि गैरकानूनी रूप से बिजली का उपभोग या बिजली चोरी के कारण लोड अधिक है तो वितरण ट्रान्सफॉरमर की क्षमता विस्तार नहीं किया जाना है तथा गैरकानूनी रूप से बिजली के उपभोग की जा रही तो निश्चित रूप से बिजली चोरी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जानी है।

34. **मुजफ्फरपुर जिलाः**

34.1 जिले में सम्प्रति 04 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदला जाना है।

34.2 जिले में करीब 2,20,000 बिजली उपभोक्ता है जिसमें से करीब 1,52,000 मीटरीकृत हैं, शेष उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर नहीं लगा है वहाँ निश्चित रूप से 30.04.2013 तक मीटर अधिष्ठापित कर दिया जाना है। करीब 10 प्रतिशत मीटरीकृत उपभोक्ता बिलिंग सायकल में नहीं है जिसे शीघ्र बिलिंग सायकल में ले आने का निदेश दिया गया।

34.3 जिलाधिकारी द्वारा जिले के सभी सरकारी कार्यालयों एवं आवासों में 31 मार्च,2013 तक निश्चित रूप से मीटर अधिष्ठापित करा दिये जाने का आश्वासन दिया गया।

34.4 जिले में की गयी बिजली आपूर्त्ति के विरूद्ध करीब 52 प्रतिशत बिजली का विपत्रीकरण हुआ है। निदेश दिया गया कि शत–प्रतिशत मीटरीकृत उपभोक्ताओं का मीटर पठन के आधार पर विपत्रीकरण किया जाना है।

34.5 फरवरी, 2013 में बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में 117 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा–135 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है जिसमें रू0 69.90 लाख की दण्डात्मक राशि के विरूद्ध रू019.58 लाख की राजस्व वसूली की गयी है। धारा–126 के अन्तर्गत 45 उपभोक्ताओं के स्वीकृत विद्युत भार के अतिरिक्त विद्युत भार के उपयोग किये जाने के विरूद्ध कार्रवाई की गयी तथा रू0 30.38 लाख दण्डात्मक राशि के विरूद्ध रू0 3.01 लाख की राजस्व वसूली की गयी है। बिजली चोरी के विरूद्ध कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। निदेश दिया गया कि बिजली चोरी के मामले में spot पर निश्चित रूप से गिरफ्तारी की जानी है।

34.6 जिले में फरवरी माह में 11 के.वी. का 31 कि.मी. एवं एल.टी. लाईन का 23.55 कि. मी. रिकंडक्टरिंग कराया गया है। रिकंडक्टरिंग कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता है।

34.7 जिलाधिकारी द्वारा 16 के.वी./25 के.वी. के वितरण ट्रान्सफॉरमर की क्षमता विस्तार किये जाने का अनुरोध किया गया।

34.8 जिले में करीब 47000 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना है। फरवरी माह में करीब 4600 मीटर अधिष्ठापित कराया गया है। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि इस कार्य में तेजी लायी जानी ह।

34.9 निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी प्रत्येक विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल में नया विद्युत उपभोक्ता बनाये जाने के लिए पूरे प्रचार–प्रसार के साथ शिविर आयोजित करा दें तथा सुनिश्चित करें कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन निश्चित रूप से शिविर में ही हो जाय। यह भी निदेश दिया गया कि शिविर आयोजित किये जाने के पूर्व निश्चित रूप से बिजली चोरी के विरूद्ध सघन रूप से छापेमारी करायी जानी है।

34.10 प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) ने ढोली एवं मोतीपुर विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल विपत्रीकरण दक्षता बहुत ही कम है इस पर जिलाधिकारी द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना है।

मुजफ्फरपुर विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल में राजस्व वसूली कम है। जिलाधिकारी इसकी समीक्षा कर राजस्व वसूली में प्रगति करायेंगे। जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया कि जिले के बड़े बकायेदारों का विद्युत संबंध विच्छेद कराया जाना है।

35. पश्चिमी चम्पारण जिला

35.1 जिले के प्रभारी सचिव द्वारा बताया गया कि जिले में 12 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है। जिले में करीब 6000 अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना है। 50 सरकारी कार्यालयों/आवासों में मीटर लगाया जाना है। बगहा एवं रामनगर विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल का विपत्रीकरण दक्षता खराब है इसमें सुधार की आवश्यकता है। जिले में करीब रू0 292 करोड़ बकाये के विरूद्ध मात्र रू0 94 लाख की एरियर राजस्व की वसूली की गयी है, बकाये राशि की वसूली में विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्कता है। सरकारी विभागों से बकाये के विरूद्ध मात्र रू0 6.00 लाख राजस्व की वसूली हुई है जबकि करीब रू0 10.00 करोड़ बकाया है। पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग से राजस्व नहीं मिल रहा है। सरकारी विभागों से सम्पर्क कर बकाये राजस्व की वसूली की जानी है। बिजली चोरी के विरूद्ध किये गये छापेमारी में 85 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा–135 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा रू0 26.22 लाख दण्डात्मक राशि के विरूद्ध रू0 1.74 लाख की वसूली की गयी है, दण्डात्मक राशि की वसूली की दिशा में आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। जिले के धनहा में ए.डी.बी. सम्पोषित योजना के लिए भू–अर्जन के प्रस्ताव वित्त विभाग से कुछ पृच्छा के साथ लौटा दिया गया है जिसे तीन दिनों के अन्दर त्रुटि निराकरण कर भेज दिया जायगा।

35.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के तीन विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल में एक ही मीटर रिडिंग एजेन्सी कार्यरत है, मीटर रिडिंग एजेन्सी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि विद्युत कार्यपालक अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल में निश्चित रूप से कम–से–कम एक मीटर रिडिंग एजेन्सी निश्चित रूप से कार्यरत है।

36. पूर्वी चम्पारण जिला

36.1 जिले में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर की संख्या शून्य है।

36.2 टी.आर.डब्ल्यू., मोतिहारी में 25 फरवरी से कार्य शुरू हो गया है।

36.3 करीब 27000 अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना है। फरवरी,2013 में 3500 मीटर लगाया गया है। निदेश दिया गया कि एजेन्सी की संख्या बढ़ाकर निश्चित रूप से अप्रैल,2013 तक सभी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित कर दिया जाना है।

36.4 उपभोक्ताओं के यहाँ करीब रू0 145.00 करोड़ के विरूद्ध मात्र रू0 89.00 लाख की वसूली की गयी है जो बहुत ही कम है।

36.5 जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध की गयी छापेमारी में धारा–135 के अन्तर्गत 104 व्यक्तियों पर एफ.आई.आर. दर्ज किया गया है तथा रू0 20.41 लाख दण्डात्मक राशि के विरूद्ध रू013.69 लाख की वसूली भी की गयी है। धारा–126 के अन्तर्गत 42 उपभोक्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई की गयी है। निदेश दिया गया कि बड़े उपभोक्ताओं के यहाँ छापेमारी की जानी है तथा बिजली चोरी की स्थिति में स्पॉट पर गिरफतारी की जानी है जिसका प्रभाव निश्चित रूप से बिजली चोरों पर होगी।

36.6 जिले के टॉप 20 निलामपत्र वाद मामले में वारण्ट निर्गत किया गया है। मेसर्स हनुमान सुगर मील के विरूद्ध निलामपत्र वाद में रू0 9.00 लाख के क्लेम का मामला कोर्ट में लम्बित है। निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी अपने स्तर से सर्टिफिकेट केस के मामलों का अनुश्रवण कर लें साथ ही यह सत्यापित करा लें कि जिनके विरूद्ध सर्टिफिकेट केस दायर उनके द्वारा बिजली का उपभोग तो नहीं किया जा रहा है।

36.7 जिले में पावर सब–स्टेशन के निमार्ण हेतु छः जगहों पर भू–अर्जन किया जाना है। सभी जगहों पर सरकारी भूमि उपलब्ध है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि तीन जगहों को छोड़कर अन्य जगहों पर भूमि का हस्तानान्तरण करा दिया जायगा।

36.8 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 123 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें से मात्र 18 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वयन करने वाले एजेन्सी के असंतोषजनक कार्य के कारण हटा दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि नये एजेन्सी की नियुक्ति शीघ्र कराया जाय।

36.9 जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिले के 98 अमीटरीकृत सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर मार्च,2012 तक निश्चित रूप से अधिष्ठापित करा दिया जाना है तथा अप्रैल, 2013 से मीटर पठन के आधार पर नियमित विपत्रीकरण होना सुनिश्चित करेंगे।

36.10 प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) ने बताया कि मोतिहारी प्रमंडल में राजस्व वसूली में कमी आयी है इसमें विशेष ध्यान दे कर अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है।

37. सीतामढ़ी जिला

37.1 जिले में 08 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदला जाना आवश्यक है। जिलाधिकारी द्वारा वितरण ट्रान्सफॉरमर की क्षमता विस्तार किये जाने की आवश्यकता बतायी गयी। ऊर्जा सचिव द्वारा जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे अपने स्तर पर वितरण ट्रान्सफॉरमर की क्षमता विस्तार संबंधी मामले की समीक्षा

कर लें यदि क्षमता विस्तार की आवश्यकता है तो अपनी अनुशंसा प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन को भेज दें।

37.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के चार विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल में मात्र मीटर अधिष्ठापन हेतु मात्र एक ही एजेन्सी कार्यरत है। ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि मीटर अधिष्ठापन हेतु विद्युत अनुज्ञप्ति वाले एजेन्सी की आवश्यकता नहीं है तथा स्थानीय बिजली मिस्त्री से नियमानुसार गारण्टी ले कर मीटर अधिष्ठापन का कार्य कराया जा सकता है। मीटर अधिष्ठापन हेतु एजेन्सी की नियुक्ति में विद्युत कार्यपालक अभियन्ता/ सहायक विद्युत अभियन्ता की लापरवाही परिलक्षित होती है तो निश्चित रूप से उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जानी है। प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) ने सख्त निदेश दिया कि सहायक विद्युत अभियन्ता कम–से–कम दो एजेन्सी नियुक्त कर लक्ष्यबद्ध ढ़ंग से मीटर अधिष्ठापन का कार्य सुनिश्चित करायें।

37.3 जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध की गयी छापेमारी में धारा–135 के अन्तर्गत 53 व्यक्तियों पर एफ.आई.आर. दर्ज किया गया है, 05 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है तथा रू0 12.58 लाख दण्डात्मक राशि के विरूद्ध रू01.06 लाख की वसूली की गयी है। धारा–126 के अन्तर्गत 03 उपभोक्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई की गयी है।

37.4 जिले के दो प्रखंड यथा परसौनी एवं बोखारा में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु आधा एकड़ भूमि की आवश्यकता है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बोखारा की भूमि चिन्हित कर ली गयी है तथा दो दिनों में इसका प्रस्ताव भेज दिया जायगा।

37.5 सीतामढ़ी में भंडार कार्यरत हो गया है तथा भंडारकर्मी द्वारा पदभार ग्रहण कर लिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सीतामढ़ी भंडार में पोल अनुपलब्ध है। महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता, तिरहुत विद्युत आपूर्त्ति क्षेत्र ने बताया कि शीघ्र पोल उपलब्ध करा दिया जायगा।

37.6 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में कनीय विद्युत अभियन्ता के पाँच पद रिक्त है। निदेश दिया गया कि शीघ्र कनीय विद्युत अभियन्ता को पदस्थापित किया जाय।

37.7 जिले का विपत्रीकरण दक्षता 30 प्रतिशत है तथा जनवरी माह की तुलना में फरवरी माह में राजस्व वसूली कम हुई हैं। प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) ने निदेश दिया कि राजस्व वसूली तथा विपत्रीकरण दक्षता में अधिक सुधार निश्चित रूप से किया जाना है।

38. शिवहर जिला

38.1 जिले में 16279 उपभोक्ता हैं जिनमें से 10835 उपभोक्ताओं मीटरीकृत है। शेष उपभोक्ताओं के यहाँ निश्चित रूप से अप्रैल,2013 तक मीटर अधिष्ठापित कर दिया

जायगा। निदेश दिया गया कि जिले के 18 अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मार्च,2013 में निश्चित रूप से मीटर लगा दिया जाना है तथा अप्रैल,2013 से मीटर पठन के आधार पर विपत्रीकरण सुनिश्चित हो जाना है।

38.2 जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध की 25 परिसरों पर छापेमारी की गयी जिसमें से धारा–135 के अन्तर्गत 21 व्यक्तियों पर एफ.आई.आर. दर्ज किया गया तथा रू03.78 लाख का दण्ड भारित किया गया।

38.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में ही चर्चा के दौरान शिवहर में विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल खोले जाने का निर्णय हुआ तथा विद्युत कार्यपालक अभियन्ता को भी पदस्थापित कर दिया गया। परन्तु विद्युत कार्यपालक अभियन्ता अपने मुख्यालय में नहीं रहते हैं तथा आज विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में भी उपस्थित नहीं हैं। निदेश दिया गया कि शिवहर के विद्युत कार्यपालक अभियन्ता जो अनाधिकृत अवकाश पर हैं के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जानी है। यह भी निदेश दिया गया कि शीघ्र अन्य विद्युत कार्यपालक अभियन्ता को शिवहर में पदस्थापित किया जाना है।

38.4 जिले के 22 सरकारी उपभोक्ताओं में से मात्र 04 उपभोक्ताओं के यहाँ ही मीटर अधिष्ठापित है। निदेश दिया गया कि मार्च,2013 तक शेष 18 सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ निश्चित रूप से मीटर अधिष्ठापित हो जाना है।

38.5 राजस्व वसूली के मामले में शिवहर राज्य में सबसे खराब स्थिति में है। रू0 65 लाख की बिजली आपूर्त्ति के विरूद्ध मात्र रू0 1.5 लाख की वसूली हुई है। ऐसी स्थिति में शिवहर को कैसे बिजली की आपूर्त्ति की जा सकती है। ऊर्जा सचिव द्वारा जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से राजस्व वसूली का अनुश्रवण कर निश्चित रूप से राजस्व संग्रहण में प्रगति लायें।

39. बैशाली जिला

39.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में बिजली की उपलब्धता में बढ़ोत्तरी हुई है।

39.2 जिले में सम्प्रति खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर की संख्या शून्य है। जो पाँच वितरण ट्रान्सफॉरमर बदला गया उनमें से एक जगह ट्रान्सफॉरमर ओवरलोडेड था तथा तीन में तकनीकी खराबी के कारण खराब हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि टी.आर.डब्ल्यू. में वितरण ट्रान्सफॉरमर की मरम्मति की गुणवत्ता में सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

39.3 जिले में 104922 प्रभावी विद्युत उपभोक्ता हैं। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले की household की तुलना में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या बहुत ही कम है। अतः नये उपभोक्ता बनाये जाने की आवश्यकता है।

39.4 जिलाधिकारी द्वारा जिले के शत–प्रतिशत सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ एक सप्ताह में निश्चित रूप से मीटर अधिष्ठापित करा दिया जायगा।

39.5 जिले में जनवरी माह में रू0 5.8 करोड़ राजस्व संग्रहण की तुलना में फरवरी माह में रू0 6.2 करोड़ राजस्व संग्रहण हुआ है, राजस्व संग्रहण में और सुधार की आवश्यकता है। जिले का ए.टी.एण्ड सी. लॉस करीब 52 प्रतिशत है। विदुपुर एवं लालगंज विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल का ए.टी.एण्ड सी. लॉस ज्यादा है जिसे निश्चित रूप से अगले माह तक कम किया जाना है।

39.6 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आवंटन के अभाव में विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं प्राप्त हो रहा है। ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि मुख्य सचिव स्तर पर बड़े बकाये वालें सरकारी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव के साथ बैठक हो चुकी है तथा मुख्य सचिव ने निदेश दिया है कि सरकारी विभाग पर बिजली विपत्र के बकाये राशि है उसमें से डी.पी.एस. की राशि छोड़ कर शेष राशि का आवंटन क्षेत्रीय कार्यालयों को दे दी जानी है तथा क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा निश्चित रूप से मार्च, 2013 में भुगतान कर दिया जाना है। यह भी निदेश दिया गया कि मार्च में जिस विभाग द्वारा विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं किया जाता है तो अप्रैल से विद्युत संबंध विच्छेद कर दिया जाना है।

39.7 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में विद्युत चोरी के विरूद्ध 08 प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा 04 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है। निदेश दिया गया कि विद्युत चोरी के विरूद्ध छापेमारी में तेजी लायी जानी है।

39.8 सर्टिफिकेट केस में करीब रू0 56.00 लाख की वसूली की गयी है। टॉप 20 सर्टिफिकेट केस में से 04 केस का मामला पावर कम्पनी के स्तर पर लम्बित है। ऊर्जा सचिव ने कहा कि एक बार सर्टिफिकेट केस दायर हो जाने पर किसी को बकाये राशि का किश्त करने का अधिकार नहीं है। यह भी बताया गया कि निलामवाद पदाधिकारी की अनुमति से सर्टिफिकेट केस वापस लेकर ही कोई कार्रवाई की जा सकती है। जिलाधिकारी ने अनुरोध किया कि one time settlement की में विचार किया जाना है।

39.9 जिलाधिकारी द्वारा राघोपुर में पावर सब–स्टेशन निर्माण हेतु भू–अर्जन की चर्चा की गयी। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2010 में पैसा जमा कर दिया गया था। राघोपुर दियारा इलाका है। वहाँ परंपरागत विद्युतीकरण किया जाना cost effective नहीं होगा। REC द्वारा स्थल निरीक्षण के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि राघोपुर का विद्युतीकरण डी.डी.जी. के तहत किया जाना है। अतः पावर सब–स्टेशन के लिए भूमि की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में जमा की गयी राशि वापस करने के लिए आग्रह किया जायगा।

39.10 अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक ने बताया कि हाजीपुर में 132 के.वी. संचरण लाईन में टावर लग रहा है जहाँ ROW की समस्या हो गयी है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि वह जमीन भवन विभाग का है जो अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए छात्रावास के लिए चिन्हित है। लाईन का realingment ही विकल्प है। पावर ग्रीड को वैकल्पिक उपाय के लिए बताया गया है।

39.11 अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक ने बताया कि महुआ लाईन में तार का repeated theft हुआ है जिसको रोकने के लिए कारगर कदम उठाया जाना है।

39.12 जिलाधिकारी द्वारा शीतलपुर पावर सब–स्टेशन को सोनपुर ग्रीड सब–स्टेशन से जोड़े जाने का अनुरोध किया गया।

39.13 जिलाधिकारी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अण्डरग्राउण्ड केबलिंग कराये जाने का अनुरोध किया गया। ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि अगर अण्डरग्राउण्ड केबलिंग का खर्च बियाडा द्वारा वहन किया जाता है तो इस पर विचार किया जायगा।

39.14 जिलाधिकारी द्वारा पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर एक सप्ताह में प्रतिवेदन निश्चित रूप से भेज दिया जायगा।

40. सारण जिला

40.1 जिले में बिजली आपूर्त्ति की स्थिति बेहतर हुई है। शहरी क्षेत्रों में औसतन 10 घण्टा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 08 बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

40.2 जिले में 16 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

40.3 जिले के शहरी क्षेत्र में करीब 24000 मीटरीकृत उपभोक्ता हैं जिसमें से करीब 10000 उपभोक्ताओं का मीटर पठन हुआ है परन्तु विपत्रीकरण मीटर पठन के आधार पर नहीं हो पा रहा है।

40.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकारी कनेक्शन का भी उपभोक्तावार विपत्रीकरण होना चाहिए। विद्युत कार्यपालक अभियन्ता को निदेश दिया गया कि उपभोक्तावार विपत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाना है। यह भी निदेश दिया गया कि मार्च,2013 तक सभी सरकारी उपभोक्ता परिसर में मीटर अधिष्ठापित निश्चित रूप से हो जाना है तथा मीटर पठन के आधार पर विपत्रीकरण सुनिश्चित किया जाना है। प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) ने विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, छपरा को निदेश दिया कि 05–03–2013 के शाम तक सरकारी कनेक्शन का उपभोक्तावार विपत्र की प्रति जिलाधिकारी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे। यह भी निदेश दिया गया निजी एवं सरकारी उपभोक्ता में कोई अन्तर नहीं किया जाना है तथा विद्युत विपत्र बकाये की स्थिति में अप्रैल,2013 से सरकारी उपभोक्ता का भी लाईन काटा जाना है।

40.5 जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध चलाये गये अभियान में 105 परिसरों पर छापेमारी की गयी तथा 61 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा–135 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी एवं 06 बिजली चोरों की गिरफ्तारी भी हुई है।

40.6 सर्टिफिकेट केस में रजिस्टर–09 एवं रजिस्टर–10 का मिलान नहीं हो पाया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अभियान चलाकर इस कार्य का निष्पादन शीघ्र करा दिया जायगा। जिलाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि सर्टिफिकेट केस के मामले में सर्टिफिकेट ऑफिसर के साथ एक निजी अधिवक्ता की प्रतिनियुक्ति जानी चाहिए जिससे मामले के निष्पादन में तेजी आयेगी। ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि नीलामपत्र वाद के निष्पादन हेतु अधिवक्ताओं की सूची से प्रतिनियुक्ति संबंधी निर्देश पावर कम्पनी द्वारा जारी कर दिया जायगा।

40.7 जिले में 33 कि.मी. रिकंडक्टरिंग का कार्य हुआ है। निदेश दिया गया कि लक्ष्य के अनुसार निश्चित रूप से रिकंडक्टरिंग का कार्य कराया जाना है।

40.8 प्रधान सचिव (वित्त) ने सुझाव दिया कि उपभोक्ताओं को नियमित रूप से विपत्र उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा है ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को स्वमूल्यांकन के आधार पर भुगतान करने की सुविधा दी जानी चाहिए एवं विपत्रीकरण के उपरान्त उस राशि का समायोजन विपत्र की राशि में कर ली जाय।

40.9 छपरा (पूर्वी) प्रमंडल में राजस्व वसूली में कमी आयी है। विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, छपरा एवं विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, छपरा (पूर्वी) का कार्य असंतोषजनक है। तत्काल सुधार की आवश्यकता है अन्यथा उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जानी है।

40.10 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में करीब 20000 विपत्रीकरण किया गया जिसमें करीब 10000 विपत्र का वितरण किया जा सका। ऊर्जा सचिव ने जिलाधिकारी को निदेश दिया कि अपने स्तर से अनुश्रवण कर मार्च,2013 में शत–प्रतिशत विपत्र का वितरण सुनिश्चित कराया जाना है।

40.11 अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक ने बताया कि एकमा ग्रीड सब–स्टेशन हेतु 132 के.वी. संचरण लाईन का निर्माण किया जा रहा है जिसमें लोकेशन संख्या–1 एवं 2 पर ROW की समस्या है, जिलाधिकारी इसका निष्पादन शीघ्र करा देंगे।

40.12 जिलाधिकारी द्वारा पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर दो दिनों में भेज दिया जायगा।

41. सिवान जिला

41.1 जिले के 10 प्रखण्डों में पावर सब स्टेशन निर्माण हेतु जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेज दिया गया है।

41.2 जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध चलाये गये अभियान में 30 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा–135 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी तथा धारा–126 के अन्तर्गत 21 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी है।

41.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में 240 सर्टिफिकेट केस दायर है। रजिस्टर –9 एवं 10 का मिलान का कार्य हो रहा है तत्पश्चात् केस के निष्पादन हेतु कार्रवाई शुरू की जायगी। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि नीलामपत्र वाद के नये मामले का follow up कर शीघ्र निष्पादन कराया जाना है तथा पुराने सर्टिफिकेट केस की कागजात तैयार कर उसके निष्पादन की कार्रवाई भी जल्द किया जाना है।

41.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकारी कॉलोनी में शिविर का आयोजन कर विद्युत कनेक्शन दिया गया है तथा मार्च,2013 तक सभी सरकारी कार्यालयों एवं आवासों में कनेक्शन के साथ मीटर अधिष्ठापित करा दिया जायगा।

41.5 जिले में 1,23,410 विद्युत उपभोक्ता हैं जिसमें से 77,620 मीटरीकृत उपभोक्ता है तथा 46123 अमीटरीकृत उपभोक्ता है। इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी अपने स्तर से इसका अनुश्रवण कर अप्रैल,2013 तक शत–प्रतिशत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित सुनिश्चित करायेंगे।

41.6 सिवान शहरी क्षेत्र का राजस्व वसूली की स्थिति असंतोषजनक है। प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) ने निदेश दिया कि मार्च में अभियान चलाकर राजस्व वसूली में अधिक सुधार लाया जाना है।

42. गोपालगंज जिला

42.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में 10 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसमें से 05 आज बदल दिया जायगा।

42.2 जिले में 37119 अमीटरीकृत उपभोक्ता हैं। निदेश दिया गया कि एजेन्सियों की संख्या बढ़ाकर अप्रैल,2013 तक निश्चित रूप से सभी अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित करा दिया जाना है। जिले में 167 अमीटरीकृत सरकारी उपभोक्ता हैं। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ मार्च,2013 में निश्चित रूप से मीटर का अधिष्ठापन करा दिया जायगा।

42.3 बिजली चोरी के विरूद्ध 98 परिसरों पर छापेमारी की गयी जिसमें 56 प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा 04 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 47 उपभोक्ताओं का विद्युत संबंध विच्छेद किया गया है।

42.4 जिले में दर्ज 53 नीलामपत्र वाद में 40 के विरूद्ध वॉडी वारण्ट निर्गत किया गया है। टॉप 20 मामलों वाले परिसरों का सत्यापन कराया गया है तथा किसी में भी बिजली का उपभोग करते नहीं पाया गया।

42.5 अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल, कुचायकोट में नये विद्युत कनेक्शन का 859 आवेदन लम्बित है जिसका शीघ्र निष्पादन कराया जाना है।

42.6 आयुक्त, सारण प्रमंडल ने बताया कि नीलामपत्र वाद के मामले में पावर कम्पनी के पदाधिकारियों द्वारा नीलामपत्र पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित नहीं किये जाने के कारण उसका निष्पादन नहीं हो पा रहा है।

43. दरभंगा जिला

43.1 जिले में कोई भी वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब नहीं है। फरवरी माह में जिले के शहरी क्षेत्र में 08 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 21 खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर को बदला गया है।

43.2 विद्युत चोरी के विरूद्ध 50 परिसरों पर छापेमारी की गयी जिसमें 27 व्यक्तियों पर धारा–135 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा रू0 11.75 लाख का दण्ड लगया गया।

43.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि नीलामपत्र वाद के निष्पादन हेतु सप्ताह में एक दिन गुरूवार निर्धारित किया गया है। उस दिन विद्युत कार्यपालक अभियन्ता सर्टिफिकेट ऑफिसर से सम्पर्क कर नीलामपत्र वाद के निष्पादन हेतु कार्रवाई करायेंगे। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि टॉप 20 नीलामपत्र वाद से संबंधित परिसरों की जाँच करायी गयी तथा किसी भी परिसर में बिजली का उपभोग करते नहीं पाया गया।

43.4 जिले में 131 कि.मी. रिकंडक्टरिंग का कार्य कराया गया।

43.5 दरभंगा 400/220 के0वी0 सुपर ग्रीड सब–स्टेशन हेतु 50 एकड़ जमीन चिन्हित कर लिया गया है। अधियाचना प्राप्त होने पर भू–अर्जन की कार्रवाई की जायगी।

43.6 जाले, किरतपुर एवं कुशेश्वरस्थान पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु भू–अर्जन की कार्रवाई प्रगति में है। जाले पावर सब–स्टेशन हेतु राशि की माँग की गयी है।

43.7 जिले में 37244 अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापन कराया जाना है। निदेश दिया गया कि एजेन्सियों की संख्या बढ़ाकर निश्चित रूप से अप्रैल,2013 तक शत–प्रतिशत मीटर अधिष्ठापन का कार्य सम्पन्न करा दिया जाना है।

43.8 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के जमीन का पुनर्मूल्यांकन कर प्रतिवेदन भेज दिया गया है। भवन का पुनर्मूल्यांकन का कार्य अभियन्ताओं की हड़ताल के कारण लम्बित है। हड़ताल समाप्त होने के पश्चात् शीघ्र भवन का भी पुनर्मूल्यांकन कर प्रतिवेदन भेज दिया जायगा।

43.9 घनश्यामपुर, केवटी एवं कुशेश्वरस्थान विद्युत प्रशाखा में कनीय विद्युत अभियन्ता नहीं है। घनश्यामपुर के कनीय विद्युत अभियन्ता अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित है। निदेश दिया गया कि इन पर नियमानुसार कार्रवाई की जानी है।

43.10 अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक ने बताया कि दरभंगा (ग्रामीण) विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल में नये विद्युत संबंध हेतु 2220 आवेदन लम्बित है। जिलाधिकारी अपने स्तर से अनुश्रवण कर लम्बित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करायेंगे।

43.11 प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि वे अपने स्तर से मीटर रिडिंग रजिस्टर की जाँच करवा लें।

44. मधुबनी जिला

44.1 जिले में सम्प्रति खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर की संख्या शून्य है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में अधिक संख्या में वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होते है।

44.2 जिले में 27982 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगाया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल में एक–एक मीटर अधिष्ठापन एजेन्सी कार्यरत है परन्तु एक अवर प्रमंडल में अभी एजेन्सी की नियुक्ति नहीं हुई है, एजेन्सी की नियुक्ति शीघ्र कर ली जायगी। अप्रैल,2013 तक सभी अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापन करा दिया जायगा। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि मीटर अधिष्ठापन के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निश्चित रूप से अप्रैल,2013 तक शत–प्रतिशत मीटर अधिष्ठापन करा दिया जाना है।

44.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 123 सरकारी उपभोक्ताओं के परिसर में मीटर नहीं लगा है वहाँ मार्च,2013 तक मीटर अधिष्ठापित करा दिया जायगा।

44.4 बिजली चोरी में धारा–135 के अन्तर्गत 68 प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा 07 गिरफ्तारी हुई है।

44.5 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 300/– रूपये प्रतिदिन पर गाड़ी भाड़े पर नहीं मिलती है जिसके कारण छापेमारी में कठिनाई हो रही है। ऊर्जा सचिव ने बताया कि इस संबंध में शीघ्र ही आदेश निर्गत कर दिया जायगा।

44.6 जिलाधिकारी ने बताया कि झंझारपुर में ROW की समस्या है। समस्या जटिल है, प्रशासन द्वारा बल प्रयोग कर इसका समाधान शीघ्र करा दिया जायगा।

44.7 बेनीपट्टी विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल में राजस्व संग्रहण की स्थिति बहुत ही खराब है। प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) द्वारा चेतावनी दी गयी कि राजस्व संग्रहण में निश्चित रूप से सुधार करें अन्यथा सख्त कार्रवाई की जायगी।

45. समस्तीपुर जिला

45.1 जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध की गयी छापेमारी में 60 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी।

45.2 जिले में 59800 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगाया जाना है। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अप्रैल,2013 तक शत–प्रतिशत मीटर अधिष्ठापन सुनिश्चित करायें।

45.3 जिले में मीटर रिडिंग एवं विपत्र वितरण की स्थिति खराब है। जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से मीटर रिडिंग एवं विपत्र वितरण के कार्यो का अनुश्रवण किया जाना आवश्यक है।

45.4 रोसड़ा एवं दलसिंगसराय विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल में मीटर अधिष्ठापन एवं राजस्व संग्रहण की स्थिति ठीक नहीं है। प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) ने दोनो विद्युत कार्यपालक अभियन्ताओं को निदेश दिया कि मार्च,2013 में इन कार्यों में अधिक सुधार लायें अन्यथा नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जायगी।

45.5 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 101 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है जिसमें से 78 राजकीय नलकूप लघु जल संसाधन विभाग को हस्तगत करा दिया गया है। जिलाधिकारी अपने स्तर से अनुश्रवण शेष ऊर्जान्वित राजकीय नलकूपों को भी लघु जल संसाधन विभाग को हस्तगत करा दें।

45.6 सहायक विद्युत अभियन्ता, विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल, कल्याणपुर द्वारा फरवरी माह में मात्र एक उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण किया गया है जो पावर कम्पनी के निर्देशों की अवहेलना है। इसके लिए सहायक विद्युत अभियन्ता, विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल, कल्याणपुर से स्पष्टीकरण पूछा जाना है। निदेश दिया गया कि पावर कम्पनी द्वारा निर्धारित संख्या में जिन क्षेत्रीय अभियन्ताओं द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है उन पर कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है।

46. सहरसा जिला

46.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घण्टा एवं शहरी क्षेत्रों में 14 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है

46.2 जिले में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर की संख्या शून्य है।

46.3 जिले में 12066 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगाया जाना शेष है जिसे लक्ष्यानुसार अप्रैल,2013 तक निश्चित रूप से लगा दिया जायगा। मार्च,2013 तक शेष 90 सरकारी उपभोक्तओं के परिसर में मीटर अधिष्ठापित निश्चित रूप से करा दिया जायगा।

46.4 बिजली चोरी के विरूद्ध 60 परिसरों पर छापेमारी की गयी जिसमें 26 व्यक्तियों पर धारा–135 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी जिसमें रू04.25 लाख दण्डात्मक राशि के विरूद्ध रू03.53 लाख की वसूली की गयी। धारा–126 के अन्तर्गत 06 उपभोक्ताओं के परिसरों की निरीक्षण किया गया।

46.5 जिले में 60.5 कि.मी. रिकंडक्टरिंग का कार्य हुआ है।

46.6 अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक ने कहा कि जिले में नये विद्युत उपभोक्ता बनाये जाने हेतु शिविर का आयोजन किया जाना आवश्यक है।

46.7 प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) द्वारा मार्च,2013 में जिले में दो करोड़ राजस्व संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया कि अपने स्तर से साप्ताहिक समीक्षा कर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है।

47. मधेपुरा जिला

47.1 जिले में 14144 अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना है जिसमें से 1209 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित करा दिया गया है। शेष उपभोक्ताओं के यहाँ अप्रैल,2013 तक निश्चित रूप से मीटर अधिष्ठापित करा दिये जाने का निदेश दिया गया। जिले में 126 सरकारी उपभोक्ताओं में से 86 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित है। जिलाधिकारी ने बताया कि शेष सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ मार्च,2013 में निश्चित रूप से मीटर का अधिष्ठापन करा दिया जायगा।

47.2 जिले में राजस्व संग्रहण की स्थिति अत्यन्त ही खराब है। निदेश दिया गया कि मार्च,2013 में राजस्व संग्रहण में निश्चित रूप से अधिक सुधार किया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विपत्र वितरण नहीं हो पा रहा है तथा एजेन्सी के पास पर्याप्त संख्या में मानव बल नहीं है। निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी अपने स्तर से एजेन्सी पर पर्याप्त संख्या में मानव बल हेतु दबाव दे कर शत–प्रतिशत विपत्र वितरण सुनिश्चित कराया जाना है।

47.3 मधेपुरा जिला में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की कमी को दूर किया जाना है।

47.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ROW की समस्या का समाधान करा दिया गया है।

48. सुपौल जिला

48.1 जिले में दो वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदल दिया जायगा।

48.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में 5,14,000 हाउस–होल्ड्स हैं उसके अनुपात में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या (46400) बहुत ही कम है। नये विद्युत उपभोक्ता बनाये जाने की आवश्यकता है।फरवरी,2013 में नये विद्युत संबंध हेतु 2429 आवेदन प्राप्त हुए है। निदेश दिया गया कि नये विद्युत संबंध हेतु प्राप्त आवेदन का निष्पादन शीघ्र किया जाना है तथा नये उपभोक्ता बनाये जाने हेतु शिविर का आयोजन किया जाना है।

48.3 जिले में 155 सरकारी उपभोक्ताओं में से 38 सकारी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लग गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मार्च,2013 में निश्चित रूप से शेष सभी सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित करा दिया जायगा तथा अप्रैल, 2013 में मीटर रिडिंग के आधार पर विपत्रीकरण शुरू हो जायगा।

48.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्टिफिकेट ऑफिसर को निदेश दिया गया है कि सर्टिफिकेट केस के त्वरित निष्पादन हेतु दिन निर्धारित कर शीघ्र कार्रवाई की जानी है।

48.5 जिले में फरवरी,2013 में मात्र 279 अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया गया तथा निर्मली में एक भी मीटर अधिष्ठापित नहीं किया गया है। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, सुपौल एवं विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, सुपौल के अन्तर्गत सभी विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल के सहायक विद्युत अभियन्ताओं का फरवरी,2013 का वेतन भुगतान रोक दिया जाय। यदि मार्च,2013 में 5000 मीटर अधिष्ठापित नहीं किया जाता है तो विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, सुपौल पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जानी है।

48.6 अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा सुपौल में अधिक संख्या में 16/25 के.वी.ए. वितरण ट्रान्सफॉरमर, कंडक्टर एवं लाईटिंग एरेस्टर की चोरी के बारे में बताया गया। जिलाधिकारी स्तर से विद्युत सामग्रियों की हो रही चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है।

49. पूर्णियाँ जिला

49.1 जिले के सभी विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल में मीटर अधिष्ठापन हेतु एक–एक एजेन्सी द्वारा कार्य किया जा रहा है। पूर्णियाँ (ग्रामीण) विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल में अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की संख्या 13423 है जहाँ मीटर अधिष्ठापन किया जाना है, परन्तु इस कार्य हेतु एक ही एजेन्सी कार्यरत है। प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) ने निदेश दिया कि शनिवार (09.03.2013) तक विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, पूर्णियाँ कम–से–कम दो अतिरिक्त मीटर अधिष्ठापन एजेन्सी पूर्णियाँ (ग्रामीण) के लिए नियुक्त कर जिलाधिकारी को सूचित करेंगे।

49.2 जिले में 303 अमीटरीकृत सरकारी उपभोक्ता हैं जिसमें से 190 पुलिस विभाग के क्वार्टर में मीटर नहीं लगा हुआ है। जिलाधिकारी द्वारा 15 दिनों में सभी जगह मीटर अधिष्ठापित करा देने का लक्ष्य दिया गया।

49.3 बिजली चोरी के विरूद्ध 133 परिसरों पर छापेमारी की गयी जिसमें 38 व्यक्तियों पर धारा–135 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा रू021.17 लाख दण्डात्मक राशि के विरूद्ध रू03.86 लाख की वसूली की गयी। धारा–126 के अन्तर्गत 47 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी है। बिजली चोरी के मामले में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि बिजली चोरी की स्थिति में निश्चित रूप से गिरफ्तारी होना है ताकि बिजली चोरों पर इसका प्रभाव पड़े।

49.4 जिले में 92 सर्टिफिकेट केस दायर जिसमें करीब रू0 1.00 करोड़ सन्निहित है। 11 सर्टिफिकेट केस न्यायालय में लम्बित है। तीन सर्टिफिकेट केस में वॉडी वारण्ट निर्गत किया गया है।

49.5 पूर्णियाँ (ग्रामीण) एवं पूर्णियाँ (शहरी) अवर प्रमंडल में विपत्रीकरण दक्षता क्रमशः 55 प्रतिशत एवं 54 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्रों में बिजली की अधिक चोरी हो रही है। प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) ने निदेश दिया कि शहरी क्षेत्र के डी.टी.मीटर का रिडिंग कराया जाना है ताकि पता चल सके कि किस ट्रान्सफॉरमर पर कितनी चोरी हो रही है तत्पश्चात् उसी आधार पर बिजली चोरी के विरूद्ध सघन छापेमारी कर बिजली चोरी पर रोक लगायी जानी है।

50. कटिहार जिला

50.1 जिले में 18115 अमीटरीकृत उपभोक्ता हैं जिसमें से कटिहार (ग्रामीण) विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल में करीब 13000 उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना है। निदेश दिया गया कि एजेन्सियों की संख्या बढ़ाकर अप्रैल,2013 तक निश्चित रूप से सभी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित करा दिया जाना है। मीटरीकृत उपभोक्ताओं का मीटर पठन के आधार पर विपत्रीकरण हो रहा है या नहीं इसे जिलाधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करा लें।

50.2 बिजली चोरी के विरूद्ध 42 परिसरों पर छापेमारी की गयी जिसमें 14 व्यक्तियों पर धारा–135 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी, रू010.68 लाख दण्डात्मक राशि के विरूद्ध रू0 4.71 लाख की वसूली की गयी एवं दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

50.3 जिले के समेली प्रखंड में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु भू–अर्जन में धारा–4/6 की कार्रवाई पूरी कर प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेज दिया गया है।

50.4 जिले में मार्च,2013 में रू0 6.00 करोड़ राजस्व संग्रहण हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया। विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल, बारसोई का राजस्व संग्रहण की स्थिति अत्यन्त ही खराब है, मार्च,2013 में निश्चित रूप से इसमें काफी सुधार किया जाना है।

50.5 जिले के प्रभारी सचिव द्वारा बताया गया कि जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 36 राजकीय नलकूपों का ऊर्जान्वयन हो गया है तथा 22 राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। शेष ऊर्जान्वित राजकीय नलकूपों को दो दिनों में संयुक्त सत्यापन करा कर लघु जल संसाधन विभाग को सौप दिया जायगा। अमदाबाद का विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। एजेन्सी का कार्य की गति धीमी है इसमें तेजी लाये जाने की आवश्यकता है।

51. अररिया जिला

51.1 बिजली चोरी के विरूद्ध 58 परिसरों पर छापेमारी की गयी जिसमें 19 व्यक्तियों पर धारा–135 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी, रू035.12 लाख दण्डात्मक राशि के

विरूद्ध रू0 11.66 लाख की वसूली की गयी एवं छः व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। फारबेसगंज में बिजली के विरूद्ध मात्र 04 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी, ऊर्जा सचिव द्वारा बिजली चारी के विरूद्ध कम संख्या में प्राथमिकी दर्ज करने का गंभरीता से लिया गया तथा निदेश दिया गया कि सहायक विद्युत अभियन्ता, विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल, फारबेसगंज का दो वेतन वृद्धि काट लिया जाय।

51.2 जिले में 200 नीलामपत्र वाद दायर था जिसमें से 68 नीलामपत्र का निष्पादन कर दिया गया है। शेष 132 सर्टिफिकेट केस में रू055.00 लाख की राशि सन्निहित है जिसके विरूद्ध 20 वॉडी वारण्ट निर्गत किया गया है।

51.3 जिले में करीब 8000 अमीटरीकृत उपभोक्ता है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अप्रैल,2013 तक शत–प्रतिशत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित करा दिया जायगा।

51.4 जिले के प्रभार सचिव द्वारा बताया गया कि विशेष प्रयास करने पर फारबेसगंज के शहरी क्षेत्र में निश्चित रूप से 50 प्रतिशत राजस्व संग्रहण बढ़ जायगा। जिले में मार्च,2013 में रू0 3.00 करोड़ राजस्व संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) ने निदेश दिया कि प्रभावी ढ़ंग से कार्रवाई कर राजस्व संग्रहण को बढ़ाया जाना है।

52. किशनगंज जिला

52.1 जिले में 17046 अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित कराया जाना शेष है। मीटर अधिष्ठापन हेतु चार एजेन्सी कार्यरत है। फरवरी,2013 में 2087 मीटर अधिष्ठापित किया गया है तथा मार्च,2013 में चार तारिख तक 609 मीटर अधिष्ठापित कर दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 10 अप्रैल,2013 तक सभी अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित कर दिया जायगा।

52.2 जिले के 64 सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा एक सप्ताह में अमीटरीकृत सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगा दिये जाने का आश्वासन दिया गया।

52.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में मीटर रिडिंग के लिए तीन एजेन्सी कार्यरत है। मीटर रिडिंग के बाद बिलिंग एजेन्सी द्वारा पटना में विपत्रीकरण किया जाता है जिसमें 15–20 दिन का समय लग जाता है। अतः किशनगंज में ही एजेन्सी से विपत्रीकरण का कार्य कराया जाने से सुविधा होगी। प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) द्वारा बताया गया कि बिलिंग एजेन्सी मेसर्स आई.टी.आई. का कंट्रैक्ट मार्च में समाप्त हो रहा है तत्पश्चात बिलिंग एजेन्सी द्वारा विपत्रीकरण का कार्य पूर्णियाँ में कराया जायगा।

52.4 बिजली चोरी के विरूद्ध 54 परिसरों पर छापेमारी की गयी जिसमें 21 व्यक्तियों पर धारा–135 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा रू032.40 लाख दण्डात्मक राशि

के विरूद्ध रू0 13.58 लाख की वसूली की गयी। धारा–126 के विरूद्ध 20 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी।

52.5 जिले में 54 सर्टिफिकेट केस दर्ज है जिसमें रू0 52.00 लाख की राशि सन्निहित है। आठ व्यक्तियों के विरूद्ध वॉडी वारण्ट निर्गत किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि नीलामपत्र वाद के बड़े बकायेदर पश्चिम बंगाल चले गये हैं उनका पता किया जा रहा है ताकि नोटिश तामिल कराया जा सके।

52.6 किशनगंज में रिकंडक्टरिंग पूर्णियाँ की एजेन्सी द्वारा कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि लाईसेन्स वाले एजेन्सी किशनगंज में नियुक्त किया जाना है।

52.7 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मीटर अधिष्ठापन का फण्ड नहीं है जैसा कि विद्युत कार्यपालक अभियन्ता ने बताया है। प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) ने बताया कि मीटर अधिष्ठापन हेतु रू0 20.0 लाख का रिवॉलविंग फण्ड अचंल स्तर पर था उसे बॉट कर प्रमंडल स्तर पर किया जा रहा है।

52.8 प्रबंध निदेशक (नॉर्थ) ने मार्च,2013 में रू0 3.00 करोड़ राजस्व संग्रहण करने का लक्ष्य दिया जिसे निश्चित रूप से पूरा किया जाना है।

52.9 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 41 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया गया है जिसमें से मात्र दो राजकीय नलकूप लघु जल संसाधन विभाग को सौपा गया है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक ने शेष ऊर्जान्वित राजकीय नलकूपों को शीघ्र लघु जल संसाधन विभाग को सौपे जाने हेतु निदेश दिया।

52.10 आयुक्त, पूर्णियाँ ने सुझाव दिया कि अगले विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से आरक्षी अधीक्षक को भी शामिल किया जाना चाहिए।

53. पटना जिला

53.1 जिले में 99.7 कि.मी. रिकंडक्टरींग का कार्य कराया गया है।

53.2 बिजली चोरी के विरूद्ध धारा–135 के अन्तर्गत 227 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा धारा–126 के अन्तर्ग 170 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी है एवं करीब रू0 39.0 लाख दण्डात्मक राशि की वूसली की गयी है।

53.3 जिले में विद्युत सामग्री चोरी का कोई भी मामला प्रतिवेदित नहीं है।

53.4 जिलाधिकारी द्वारा मार्च, 2013 तक सभी अमीटरीकृत सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित कर मीटर रिडिंग के आधार पर विपत्रीकरण का कार्य शुरू हो जायगा।

53.5 करबिगहिया स्विचिंग सब–स्टेशन हेतु भू–अर्जन का प्रस्ताव भेज दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिहटा ग्रीड सब–स्टेशन हेतु पूर्व में चिन्हित जमीन कृषि विभाग द्वारा नहीं दिया गया। ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि बिहटा में बियाडा जमीन देने को तैयार हो गया है। राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण

योजना के अन्तर्गत 05 प्रखंड में पावर सब–स्टेशन हेतु भू–अर्जन किया जाना है। सभी जगहों पर भू–अर्जन की कार्रवाई प्रगति पर है।

53.6 पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के जमीन का पुनर्मूल्यांकन 23 अंचल में से 20 अंचल का प्रतिवेदन भेज दिया गया है। शेष परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर 10 दिन में भेज दिया जायगा। भवन विभाग के अभियन्ताओं की हड़ताल चल रही है। हड़ताल खत्म होने पर भवनों का पुनर्मूल्यांकन कर भेज दिया जायगा।

53.7 पेसू (पश्चिमी) अंचल, पेसू (पूर्वी) अंचल एवं ग्रामीण क्षेत्रों का विपत्रीकरण दक्षता क्रमशः 61, 67 एवं 48 प्रतिशत हैं। विपत्रीकरण दक्षता बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

53.8 निदेश दिया गया कि फीडरवार मीटर अधिष्ठापन हेतु एजेन्सी नियुक्त कर अप्रैल,2013 तक सभी अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ निश्चित रूप से मीटर अधिष्ठापित करा दिया जाना है।

53.9 पेसु में मीटरीकृत उपभोक्ता हैं परन्तु मीटर रिडिंग के आधार पर विपत्रीकरण नहीं हो पा रहा है। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण MMC पर हो हो रहा है। निदेश दिया गया कि मार्च,2013 में मीटर रिडिंग के आधार पर विपत्रीकरण सुनिश्चित किया जाय।

53.10 मोकामा के शिवनार में सहायक विद्युत अभियन्ता द्वारा बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी के दौरान मार–पीट की घटना हुई है परन्तु पुलिस ने अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। जिलाधिकारी ने बताया कि आरक्षी अधीक्षक को शीघ्र कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। आयुक्त, पटना प्रमण्डल से अनुरोध किया गया कि आरक्षी अधीक्षक के साथ कानून व्यवस्था से संबंधित साप्ताहिक बैठक में बिजली सामग्रियों की चोरी एवं मार–पीट की घटना के संबंध में त्वरित सख्त कार्रवाई हेतु निर्देश देना चाहेंगे।

53.11 ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि सर्टिफिकेट केस के निष्पादन में धीमी प्रगति है। जिला में बड़े–बड़े बकायादारों के विरूद्ध सर्टिफिकेट केस दायर है। जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि सर्टिफिकेट केस त्वरित निष्पादन हेतु एक अच्छे पदाधिकारी को सर्टिफिकेट ऑफिसर के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाय।

53.12 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 193 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें 71 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है।

53.13 फुलवारीशरीफ में टी.आर.डब्ल्यू. का निर्माण हो रहा है। प्रबंध निदेशक (साउथ) ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि वे अपने स्तर से निर्माण कार्य का निरीक्षण करवा लें।

54. नालन्दा जिला

54.1 जिले में मीटर अधिष्ठापन हेतु 12 एजेन्सी कार्यरत है। फरवरी,2013 में 2721 मीटर अधिष्ठापित किया गया है।

54.2 जिले का विपत्रीकरण दक्षता 30 प्रतिशत है। इसे मार्च,2013 में निश्चित रूप से बढ़ाया जाना है।

54.3 जिले में विद्युत चोरी के विरूद्ध छापेमारी में धारा–135 के अन्तर्गत 85 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी, धारा–126 के अन्तर्गत 84 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी तथा 24 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है।

54.4 जिले में 66 कि.मी. रिकंडक्टरिंग का कार्य हुआ है।

54.5 जिले में बिजली सामग्रियों की चोरी से संबंधित कोई भी मामला प्रतिवेदित नहीं है।

54.6 जिले में 212 सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगाया जाना है। मार्च,2013 में सभी अमीटरीकृत सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ निश्चित रूप से मीटर अधिष्ठापित करा दिया जायगा।

54.7 जिले में दो पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु भूमि के हस्तानान्तरण की कार्य प्रगति पर है।

54.8 जिले में राजस्व संग्रहण की स्थिति ठीक नहीं है। ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि जिले में 85000 मीटरीकृत उपभोक्ता हैं परन्तु 15000 ही मीटर रिडिंग हुआ है तो ऐसी स्थिति में निःसंदेह राजस्व संग्रहण नहीं होगा। शत–प्रतिशत मीटर रिडिंग एवं शत–प्रतिशत विपत्र वितरण निश्चित रूप से किया जाना है ताकि राजस्व संग्रहण ज्यादा–से–ज्यादा हो सके।

55. भोजपुर जिला

55.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 07 घण्टा एवं शहरी क्षेत्रों में 13 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

55.2 जिले में एक वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे ग्रामीणों के विरोध के कारण नहीं बदला जा सका है। ऊर्जा सचिव ने कहा कि ग्रामिणों के कहने पर किसी वितरण ट्रान्सफॉरमर की क्षमता विस्तार नहीं किया जायगा। वितरण ट्रान्सफॉरमर पर नियमित भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं का विद्युत भार अधिक रहने की स्थिति में ही ट्रान्सफॉरमर की क्षमता विस्तार किया जाना है।

55.3 जिले का विपत्रीकरण दक्षता 58.6 प्रतिशत है तथा जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मार्च,2013 में राजस्व संग्रहण निश्चित रूप से बढ़ाया जायगा।

55.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 26 फरवरी से 07 एजेन्सियों द्वारा मीटर अधिष्ठापन का कार्य शुरू कर दिया गया है तथा अप्रैल,2013 तक सभी अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित करा दिया जायगा।

55.5 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्टिफिकेट केस के 11 मामलों में वॉडी वारण्ट निर्गत किया गया है तथा अन्य मामले की सुनवाई की जा रही है।

55.6 जिले में 37 कि.मी. रिकंडक्टरिंग का कार्य कराया गया है। प्रबंध निदेशक (साउथ) ने रिंकडक्टरिंग का लक्ष्य प्रतिमाह 25 ckm है यानि 75 कि.मी. उस लक्ष्य को निश्चित रूप से मार्च,2013 में प्राप्त किया जाना है।

55.7 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि वितरण ट्रान्सफॉरमर में protective measures अपनाया गया है कि नहीं इसकी जाँच शुरू करा दिया गया है।

55.8 बिजली चोरी के मामले में धारा–135 के अन्तर्गत 10 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है। निदेश दिया गया कि बिजली चोरी के विरूद्ध सघन रूप से छापेमारी की जानी है तथा बिजली चोरी की स्थिति में निश्चित रूप में गिरफ्तारी की जानी है।

55.9 नलकूप विभाग के अभियन्ता dual charge में हैं जिसके कारण नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत ऊर्जान्वित नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौपने का कार्य बाधित है।

55.10 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 13000 अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना है। ऊर्जा सचिव ने निदेश दिया कि एजेन्सियों की संख्या बढ़ाकर अप्रैल,2013 तक निश्चित रूप से सभी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित हो जाना है। जिलाधिकारी अपने स्तर से इसका अनुश्रवण करेंगे।

55.11 प्रबंध निदेशक (साउथ) ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि आरा शहर के विद्युत वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का कार्य मेसर्स ए2जेड द्वारा ए.डी.बी. योजनान्तर्गत कराया जा रहा है, इस कार्य की समीक्षा अपने स्तर से करा लेंगे।

56. रोहतास जिला

56.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में क्रमशः करीब 06 घण्टा एवं 09 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

56.2 जिले के सभी विद्युत आपर्त्ति अवर प्रमंडल में मीटर अधिष्ठापन एजेन्सी कार्यरत है तथा फरवरी में करीब 800 मीटर अधिष्ठापित किया गया है। मीटर अधिष्ठापन कार्य धीमी गति से हो रहा है। जिले में 45443 अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर का अधिष्ठापन किया जाना है जिसके लिए एजेन्सियों की संख्या बढ़ाया जाना आवश्यक है ताकि अप्रैल,2013 तक निश्चित रूप से शत–प्रतिशत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगा दिया जाना है।

56.3 बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी में धारा–135 के अन्तर्गत 62 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा धारा–126 के अन्तर्गत 12 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी। छापेमारी के दौरान 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी

में और तेजी लाये जाने की आवश्यकता है ताकि बिजली चोरी पर शत–प्रतिशत काबू पाया जा सके।

56.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मार्च,2013 में सभी 115 अमीटरीकृत सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ निश्चित रूप से मीटर लगा दिया जायगा तथा अप्रैल में मीटर रिडिंग के आधार पर विपत्रीकरण सुनिश्चित करा दिया जायगा।

56.5 सरकारी विभागों के बकाये विद्युत विपत्र से डी.पी.एस. की राशि छोड़कर मार्च,2013 तक भुगतान करने का निदेश मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गयी है। ऊर्जा सचिव ने निदेश दिया कि पावर कम्पनी के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना है कि शीघ्र सभी विभागों को विपत्र की प्राप्ति करा दें।

56.6 प्रबंध निदेशक (साउथ) ने कहा कि जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध अच्छा काम हुआ है परन्तु जनवरी,13 की तुलना में फरवरी,13 में राजस्व संग्रहण कम हो गया है। मार्च,2013 में इसमें अधिक सुधार कर राजस्व संग्रहण को निश्चित रूप से बढ़ाया जाना है।

56.7 अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक ने बताया कि डेहरी–1 एवं डेहरी–2 सब–डिविजन में करीब 1000 आवेदन नये विद्युत कनेक्शन का लम्बित है जिसका निष्पादन शीघ्र कराया जाना है।

57. बक्सर जिला

57.1 जिले के शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 12 घण्टा एवं 7 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

57.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में करीब 9000 अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगाया जाना। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्युत कार्यपालक अभियन्ता द्वारा बताया गया कि मीटर अधिष्ठापन हेतु विद्युत लाईसेन्सधारी कंट्रैक्टर नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण मीटर अधिष्ठापन के कार्य में प्रगति नहीं हो पा रही है। ऊर्जा सचिव ने बताया कि मीटर अधिष्ठापन हेतु विद्युत लाईसेन्सधारी कंट्रैक्टर की आवश्यकता नहीं है। विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, बक्सर द्वारा गलत सूचना देने के लिए उनसे स्पष्टीकरण पूछे जाने का निदेश ऊर्जा सचिव ने दिया।

57.3 जिले में 47584 मीटरीकृत उपभोक्ताओं में से 21600 उपभोक्ताओं का मीटर रिडिंग हो पा रहा है शेष का मिनिमम पर विपत्रीकरण हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अत्यन्त ही खराब है, करीब 10000 मीटरीकृत उपभोक्ताओं में से मात्र 887 का मीटर रिडिंग हो पाया है।

57.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मीटर रिडिंग एवं विपत्र वितरण हेतु ज्यादा दूरी तय करने के कारण निर्धारित दर कम है। मीटर रिडिंग एवं विपत्र वितरण की दर थोड़ा बढ़ा दिया जाय तो निश्चित रूप से मीटर रिडिंग एवं विपत्र

वितरण के कार्य में अत्यधिक सुधार आ जायगा। ऊर्जा सचिव द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस संबंध में आदेश शीघ्र जारी कर दिया जायगा।

57.5 बिजली चोरी के विरूद्ध 67 परिसरों पर छापेमारी की गयी जिसमें धारा–135 के अन्तर्गत 10 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी तथा धारा–126 के अन्तर्गत 05 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई हुई है। ऊर्जा सचिव ने बताया कि बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी अन्य जिलो के मुकाबले बहुत कम हुआ है। जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि बिजली चोरी के विरूद्ध सघन छापेमारी करायी जानी है तथा गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करायें।

58. कैमूर जिला

58.1 जिले के शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 08 घण्टा एवं 06घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

58.2 जिले में सम्प्रति कोई वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब नहीं है। फरवरी में 14 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हुए थे सभी को बदल दिया गया है तथा तीन वितरण ट्रान्सफॉरमर अभी भी भंडार में है।

58.3 जिले में करीब 23000 अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना है। सभी सब–डिविजन में एक–एक मीटर अधिष्ठापन एजेन्सी कार्यरत है। निदेश दिया गया कि एजेन्सियों की संख्या बढ़ाकर इस कार्य को अप्रैल,2013 तक निश्चित रूप से कर लिया जाना है।

58.4 जिलाधिकारी ने कहा कि मार्च,2013 में सभी सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ निश्चित रूप से मीटर अधिष्ठापित करा दिया जायगा तथा अप्रैल से मीटर रिडिंग के आधार पर विपत्रीकरण सुनिश्चित हो जायगा।

58.5 जिलाधिकारी ने बताया कि सर्टिफिकेट केस के निष्पादन हेतु सर्टिफिकेट ऑफिसर की नियुक्ति कर दी गयी है तथा मामले की सुनवाई हेतु दिन निर्धारित किया जा रहा है।

58.6 नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 110 राजकीय नलकूपों में से 32 राजकीय नलकूप ऊर्जान्वित कर दिये गये है।

58.7 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिहार सरकार के अभियन्ताओं की हड़ताल चल रही, हड़ताल समाप्त होने पर पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के भवनों का पुनर्मूलयांकन कर प्रतिवेदन भेज दिया जायगा।

58.8 जिलाधिकारी ने बताया कि कनीय विद्युत अभियन्ता/सहायक विद्युत अभियन्ता को सभी वितरण ट्रान्सफॉरमर में protective measures अपनाये जाने हेतु निदेशित किया गया है तथा इस कार्य का अनुश्रवण मेरे स्तर से किया जा रहा है।

58.9 ऊर्जा सचिव ने कहा कि जिले में राजस्व संग्रहण में कोई प्रगति नहीं है। जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने स्तर पर राजस्व संग्रहण की साप्ताहिक समीक्षा कर राजस्व संग्रहण में निश्चित रूप से प्रगति लाया जाना है।

58.10 प्रबंध निदेशक (साउथ) ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि कैमूर में बन रहे टी. आर.डब्ल्यू. के निर्माण कार्यों की समीक्षा अपने स्तर से करा लें तथा सहज वसुधा केन्द्र पर बिजली भुगतान लिया जाता है, के संबंध प्रचार–प्रसार करा दें।

59. गया जिला

59.1 जिले के शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 15 घण्टा एवं 13 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

59.2 जिले में सम्प्रति कोई वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब नहीं है। फरवरी में 25 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हुए थे सभी को बदल दिया गया है। फरवरी माह में अधिक वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होने के संबंध में विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत आपूर्त्ति अंचल, गया से स्पष्टीकरण पूछा जाना है।

59.3 जिले में 111 अमीटरीकृत सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ मार्च में मीटर अधिष्ठापित करा दिया जायगा तथा अप्रैल से मीटर रिडिंग के आधार पर विपत्रीकरण सुनिश्चित हो जायगा।

59.4 बिजली चोरी के विरूद्ध 177 परिसरों में छापेमारी की गयी जिसमें धारा–135 के अन्तर्गत 55 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी, 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई तथा धारा–126 के अन्तर्गत 67 उपभोक्ताओं पर स्वीकृत लोड से ज्याद विद्युत लोड उपभोग करते पाये जाने पर कार्रवाई की गयी।

59.5 सर्टिफिकेट केस के निष्पादन की गति कम है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 15 दिनों में सर्टिफिकेट केस के निष्पादन में प्रगति आयर्गी

59.6 जिले के तीन प्रखण्ड यथा नीमचक बथानी, मोहरा एवं मानपुर में पावर सब–स्टेशन हेतु भूमि अधिग्रहण किया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रस्ताव शीघ्र आयुक्त को भेज दिया जायगा।

59.7 जिलाधिकारी ने बताया कि 33 के.वी. टेकारी–कोंच लाईन का ROW की समस्या का समाधान हो गया है।

59.8 ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि विपत्रीकरण दक्षता बहुत कम है, इसमें अधिक सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

59.9 जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि गया शहर में बिजली चोरी के विरूद्ध सघन रूप से छापेमारी करायी जानी है।

59.10 प्रबंध निदेशक (साउथ) ने निदेश दिया कि मीटर रिडिंग एजेन्सी से शत–प्रतिशत मीटरीकृत उपभोक्ताओं का मीटर रिडिंग निश्चित रूप से कराया जाना है।

59.11 प्रबंध निदेशक (साउथ) ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि चन्दौती टी.आर.डब्ल्यू. की क्षमता विस्तार से संबंधित कराये जा रहे कार्य का निरीक्षण अपने स्तर से करा लें।

59.12 नगर विकास विभाग के यहाँ ज्यादा बकाया है। मुख्य सचिव के स्तर पर बड़े बकाये वाले विभागों के प्रधान सचिव/सचिव के साथ हुई बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुसार मार्च,2013 में विद्युत विपत्र के बकाये का भुगतान प्राप्त कर लिया जाना है।

60. औरंगाबाद जिला

60.1 जिले के शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 09 घण्टा एवं 07 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

60.2 फरवरी माह में 2468 अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर का अधिष्ठापन कराया गया। करीब 15000 अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित कराया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि पावर कम्पनी मुख्यालय से पर्याप्त मात्रा में इनर्जी मीटर गया को उपलब्ध करा दिया जाय। ऊर्जा सचिव ने निदेश दिया कि एजेन्सियों की संख्या बढ़ा कर अप्रैल माह तक शत–प्रतिशत मीटर अधिष्ठापन के लक्ष्य को पूरा किया जाना है। मीटर उपलब्धता की कोई समस्या नहीं है।

60.3 जिले का विपत्रीकरण दक्षता 34 प्रतिशत है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि औरंगाबाद जिला का विद्युत विपत्र गया से बन कर आता है, अनुरोध किया गया कि जिलास्तर पर ही विपत्रीकरण कराया जाय।

60.4 जिले में 15 सरकारी आवास में मीटर नहीं था वहाँ फरवरी माह में मीटर अधिष्ठापित करा दिया गया है।

60.5 जिले में राजस्व संग्रहण की स्थिति ठीक नहीं है इसमें अधिक सुधार की आवश्यकता है। जिलाधिकारी द्वारा औरंगाबाद एवं दाउदनगर में कर्मचारियों की कमी के संबंध में बताया गया। निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी राजस्व संग्रहण में विशेष रूप से अनुश्रवण कर राजस्व संग्रहण को निश्चित रूप से बढ़ाया जाना है।

60.6 बिजली चोरी के विरूद्ध धारा–135 के अन्तर्गत 40 प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा 20 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है।

60.7 सर्टिफिकेट केस में नोटिश निर्गत किया गया है। सर्टिफिकेट केस के निष्पादन की प्रक्रिया तेजी की जानी है।

60.8 विद्युत सामग्रियों की चोरी के कुछ मामलों में अन्तिम प्रतिवेदन समर्पित हो गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि आरक्षी अधीक्षक से वार्त्ता कर विद्युत सामग्रियों की चोरी के मामले में कार्रवाई की जा रही है, कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है।

60.9 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर शीघ्र रिपोर्ट भेज दिया जायगा।

61. नवादा जिला

61.1 जिले के शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 05 घण्टा एवं 04.30 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

61.2 जिले में करीब 42000 उपभोक्ता हैं जिसमें से करीब 25000 मीटरीकृत उपभोक्ता हैं। माह फरवरी में 733 मीटर अधिष्ठापित किया गया है। ऊर्जा सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि मार्च माह में कम–से–कम 7500 मीटर अधिष्ठापन निश्चित रूप से कराया जाना है। यदि मार्च में मीटर अधिष्ठापन के कार्य में प्रगति नहीं आयी तो विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, नवादा के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जानी है।

61.3 बिजली चोरी के विरूद्ध धारा–135 के अन्तर्गत 22 व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। फरवरी माह में धारा–126 के अन्तर्गत 50 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी है।

61.4 जिले के प्रभारी सचिव द्वारा बताया गया कि 93 सर्टिफिकेट केस दर्ज है, इसके निष्पादन की कार्रवाई तेज की जानी है। अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है, शीघ्र मीटर अधिष्ठापित किया जाना आवश्यक है जिसके पश्चात् राजस्व संग्रहण निश्चित रूप से बढ़ेगा।

61.5 जिलाधिकारी ने बताया कि वारसलीगंज में पावर कम्पनी के एक टीम जिसमें नवादा के विद्युत कार्यपालक अभियन्ता थे, पर हमला की घटना हुई थी उस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निदेश दिया कि सिर्फ पावर कम्पनी के पदाधिकारियों पर ही नहीं अन्य सभी विभागों के पदाधिकारियों पर यदि हमला होता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की जानी है।

62. जहानाबाद जिला

62.1 जिले के शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 14 घण्टा एवं 05 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

62.2 जहानाबाद शहरी क्षेत्र में नये विद्युत संबंध हेतु शिविर का आयोजन किया जाना है।

62.3 जिले में मीटर अधिष्ठापन एजेंसी का कार्य संतोषजनक नहीं हैं। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मीटर अधिष्ठापन एजेंसी के पास मात्र 12 आदमी ही है। निदेश दिया गया कि एजेंसी पर मानव–बल बढ़ाने हेतु दबाव देते हुए अप्रैल 2013 तक निश्चित रूप से सभी अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित करा दिया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा प्रमंडलीय भंडार, जहानाबाद में मीटर उपलब्ध करा दिये जाने का अनुरोध किया गया।

62.4 जिले में करीब 21 हजार मीटरीकृत उपभोक्ता के विरूद्ध 11500 उपभोक्ता का ही मीटर रिडिंग हुआ है। निदेश दिया गया कि शतप्रतिशत मीटर रिडिंग किया जाना है। राजस्व संग्रहण की स्थिति असंतोषजनक है। निदेश दिया गया मार्च माह में राजस्व संग्रहण में अधिक सुधार किया जाना है।

62.5 जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के भवनों का पुनर्मूल्यांकन कर प्रतिवेदन शीघ्र भेज दिया जायगा।

62.6 निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी को मखदुमपुर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वहाँ से सर्टिफिकेट केस का रिपोर्ट भी अप्राप्त है।

62.7 प्रबंध निदेशक (साउथ) ने बताया कि सभी विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल को ट्रांसफार्मर ऑयल की आपूर्त्ति कर दी गई है।

63. अरवल जिला

63.1 जिले में 09 घंटा विद्युत आपूर्त्ति की जा रही है।

63.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विद्युत विपत्र वितरण की स्थिति के सुधार हुआ है एवं 70 प्रतिशत उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र मिल रहा है।

63.3 जिले में मीटर अधिष्ठापन का कार्य असंतोषजनक है। निदेश दिया गया कि मीटर अधिष्ठापन के कार्य में तेजी लायी जानी है तथा अप्रैल 2013 तक सभी 2900 अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटरका अधिष्ठापन करा दिया जाना है।

63.4 जिलाधिकारी ने बताया कि कुर्था क्षेत्र में बिजली बिल का बकाया अधिक है। उपभोक्ता भुगतान करने के लिए तैयार हैं, परन्तु विद्युत विपत्र में वैसे अवधि का भी राशि समाहित है जिस अवधि में विद्युत आपूर्त्ति नहीं हुई है। विद्युत विपत्र में सुधार किये जाने की आवश्यकता है ताकि उपभोक्ता द्वारा उसका भुगतान किया जा सके।

63.5 जिले में 33 के0वी0 का 48 कि0मी0 एवं 11 के0वी0 लाईन का 103 कि0मी0 रिकन्डक्टरिंग का कार्य फरवरी माह में किया गया है।

63.6 अरवल जिला एकमात्र वैसा जिला है जहाँ फरवरी माह में विद्युत चोरी के विरूद्ध एक भी एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुआ है। निदेश दिया गया कि मार्च माह से निश्चित रूप से विद्युत चोरी के विरूद्ध सघन छापेमारी की जानी है तथा बिजली चोरों के गिरफ्तार किया जाना है तथा प्राथमिकी दायर किया जाना है।

64. मुंगेर जिला

64.1 जिले के टेटिया बम्बर प्रखंड में पावर सबस्टेशन के निर्माण हेतु गैरमजरूआ आम जमीन के हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेज दिया गया है।

64.2 जिले के शहरी क्षेत्र में बिजली आपूर्त्ति में सुधार हुआ है।

64.3 जिले का विपत्रीकरण दक्षता 66 प्रतिशत और राजस्व संग्रहण दक्षता 90 प्रतिशत है। तारापुर का विपत्रीकरण एवं राजस्व दक्षता असंतोषजनक है, यहाँ अधिक सुधार की आवश्यकता है।

64.4 जिले में मीटर अधिष्ठापन एजेंसी द्वारा कार्य शुरू कर दिया गया है। निदेश दिया गया कि मीटर अधिष्ठापन हेतु कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए अप्रैल 2013 तक सभी अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापन करा दिया जाना है।

64.5 मुंगेर में टी0आर0डब्ल्यू0 का निर्माण कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 15 मई 2013 तक टी0आर0डब्ल्यू0 बनकर तैयार हो जायगा।

64.6 ऊर्जा सचिव ने निदेश दिया कि मार्च माह में सभी सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर का अधिष्ठापन करा दिया जाना है तथा अप्रैल से मीटर रीडिंग के आधार पर विपत्रीकरण किया जाना है।

64.7 विद्युत चोरी के विरूद्ध तारापुर में फरवरी माह में एक एफ0आर0आर0 दर्ज हुआ है तथा खड़गपुर में एक भी एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं कराया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि मार्च माह में तारापुर में विद्युत चोरी के विरूद्ध छापेमारी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

65. बेगुसराय जिला

65.1 बेगुसराय आपूर्त्ति प्रमंडल में करीब 10 घंटा एवं बरौनी आपूर्त्ति प्रमंडल में लगभग 15 घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

65.2 जिले में सम्प्रति खराब वितरण ट्रांसफर्मरों की संख्या शून्य है। माह फरवरी में 23 वितरण ट्रांसफर्मर खराब हुआ था जिसे बदल दिया गया है। निदेश दिया गया सभी वितरण ट्रांसफर्मर में Protective measures अपनाया जाना है ताकि अधिक संख्या में खराब हो रहे वितरण ट्रांसफर्मर पर काबू पाया जा सके।

65.3 जिले में करीब 45 हजार अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना है। फरवरी माह में 2700 मीटर अधिष्ठापित किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि एजेंसियों की संख्या बढ़ाकर अप्रैल 2013 तक सभी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित करा दिया जायगा।

65.4 जिलाधिकारी ने बताया कि 157 अमीटरीकृत सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ मार्च 2013 में निश्चित रूप से मीटर अधिष्ठापित करा दिया जायगा।

65.5 जिले में विद्युत चोरी के विरूद्ध धारा 135 के अंतर्गत 70 प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। प्रबंध निदेशक(नार्थ) ने बताया कि बेगुसराय में विद्युत चोरी के विरूद्ध अधिक प्राथमिकी एस0टी0एफ0 द्वारा किया गया है।

65.6 जिले में 208 मि0यू0 विद्युत आपूर्त्ति के विरूद्ध 98.02 मि0यू0 का विपत्रीकरण किया गया है तथा रू0 5.33 करोड़ राजस्व निर्धारण के विरूद्ध रू0 3.80 करोड़ राजस्व संग्रहण किया गया। बलिया, मंझौल एवं बछबाड़ा में राजस्व संग्रहण की स्थिति

असंतोषजनक है। प्रबंध निदेशक(नार्थ) ने निदेश दिया कि इन सभी विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल में निश्चित रूप से मार्च 2013 में राजस्व संग्रहण को बढ़ाया जाना है अन्यथा सहायक विद्युत अभियंताओं पर सख्त कार्रवाई की जायगी।

65.7 जिले के सर्टिफिकेट केस के मामले में 101 व्यक्तियों पर बॉडी वारण्ट निर्गत किया गया है तथा एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है।

65.8 जिले में फरवरी माह में 18 कि0मी0 रिकन्डक्टरिंग का कार्य किया गया है। निदेश दिया गया कि पावर कम्पनी द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार रिकन्डक्टरिंग का कार्य निश्चित रूप से कराया जाना है।

65.9 जिले के गढ़पुरा, छौड़ाही एवं मंसूरचक में पावर सबस्टेशन हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। गढ़पुरा पावर सबस्टेशन के लिए भूमि अधिग्रहण किये जाने हेतु राशि प्राप्त हो गई है, भू–मालिक को भुगतान कर जमीन शीघ्र ही हस्तगत करा दिया जायगा। छौड़ाही पावर सबस्टेशन हेतु सरकारी जमीन के हस्तांतरण का प्रस्ताव शीघ्र भेज दिया जायगा। मंसूरचक में पावर सबस्टेशन हेतु निजी भूमि चिन्हित कर ली गई है।

65.10 जिले में नाबार्ड फेज– XI के अंतर्गत 56 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है जिसमें से 30 राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को हस्तगत करा दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि शेष ऊर्जान्वित राजकीय नलकूपों को भी लघु जल संसाधन विभाग को हस्तगत करा दिया जायगा।

65.11 जिले में ए0डी0बी0 सम्पोषित योजना के अंतर्गत मेसर्स ए2जेड द्वारा पावर सबस्टेशन का निर्माण कार्य धीमी गति से किया जा रहा है। ऊर्जा सचिव ने निदेश दिया कि ए0डी0बी0 योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की जानी है।

66. जमुई जिला

66.1 जिले के शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 14 घण्टा एवं 08 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

66.2 विद्युत चोरी के विरूद्ध धारा 135 के अंतर्गत 38 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई तथा धारा 126 के अंतर्गत 16 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गई।

66.3 जिले में राजस्व संग्रहण की स्थिति असंतोषजनक है। निदेश दिया गया कि मार्च 2013 में निश्चित रूप से राजस्व संग्रहण को बढ़ाया जाना है।

67. खगड़िया जिला

67.1 चौथम प्रखंड में पावर सबस्टेशन निर्माण हेतु जमीन चिन्हित कर लिया गया है।

67.2 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अंतर्गत 11 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें 8 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है एवं सात

राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को हस्तगत करा दिया गया है। तीन राजकीय नलकूपों के ऊर्जान्वयन का कार्य प्रगति पर है।

67.3 जिले के महेशखूंट में 33 के0वी0 कन्डक्टर की चोरी हो गयी है। निदेश दिया गया कि इसमें दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई की जानी है।

67.4 विद्युत चोरी के विरूद्ध 80 परिसरों पर छापेमारी की गई जिसमें धारा 135 के अंतर्गत 22 व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई एवं धारा 126 के अंतर्गत 58 उपभोक्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई की गई।

67.5 ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि जिले में अधिक संख्या में उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगाया जाना है। निदेश दिया गया कि अधिक से अधिक एजेंसी की नियुक्ति कर शतप्रतिशत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित कराया जाना है।

67.6 जिले में जनवरी 2013 की तुलना में फरवरी माह में राजस्व संग्रहण में कमी आई है। प्रबंध निदेशक (नार्थ) द्वारा निदेश दिया गया कि मार्च 2013 में निश्चित रूप से राजस्व संग्रहण को बढ़ाया जाना है। जिले के टॉप 100 बकायेदारों की सूची भेज दी गई है। जिलाधिकारी इन बकायेदारों के परिसरों का निरीक्षण करवा लें कि उनके द्वारा बिजली का उपभोग किया जा रहा है या नहीं।

68. लखीसराय जिला

68.1 जिले में करीब 12000 अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित किया जाना है। फरवरी माह में करीब 500 मीटर अधिष्ठापित किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अप्रैल,2013 तक सभी अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ निश्चित रूप से मीटर का अधिष्ठापन करा दिया जायगा। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापन हेतु कार्यरत एजेन्सी द्वारा पाँच मीटर तार उपलब्ध कराये जाने की बात कही जाती है। दिनांक 06.03.2013 को महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियन्ता, भागलपुर को लखीसराय जा कर मीटर अधिष्ठापन एजेन्सी से बात कर इसका समाधान किये जाने का निदेश दिया गया।

68.2 लखीसराय विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल में मीटर रिडिंग एजेन्सी के साथ अभीतक एकरारनामा नहीं हुआ है। निदेश दिया गया कि महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियन्ता, भागलपुर इस संबंध में अविलम्ब समीक्षा कर मीटर रिडिंग एजेन्सी के साथ एकरारनामा शीघ्र कराना सुनिश्चित करेंगे।

68.3 जिले के प्रभारी सचिव द्वारा बताया गया कि विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल, बड़हिया की स्थिति अत्यन्त ही खराब है। विद्युत चोरी के विरूद्ध किये गये छापेमारी में कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि पूरे प्रमंडल में विद्युत चोरी के विरूद्ध मात्र तीन प्राथमिकी दर्ज की गयी है। निदेश दिया गया कि

विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, लखीसराय एवं विद्युत आपूर्त्ति अवर प्रमंडल, बड़हिया/सूर्यगढ़ा/ लखीसराय का 15 दिनों का वेतन रोक दिया जाना है।

68.4 अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा बताया गया कि 132 के.वी. जमुई–शेखपुरा संचरण लाईन में हलसी ग्राम में ROW की समस्या के कारण कार्य बाधित है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि स्पॉट पर अनुमंडलाधिकारी को भेजा गया था, कार्रवाई हो रही है तथा शीघ्र इसका समाधान करा दिया जायगा।

68.5 पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसम्पत्तियों का पुनर्मूलयांकन कर प्रतिवेदन शीघ्र भेज दिया जायगा।

69. शेखपुरा जिला

69.1 जिलाधिकारी ने बताया कि अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित करने हेतु एजेन्सियों की संख्या बढ़ायी गयी है तथा अप्रैल,2013 तक निश्चित रूप से सभी अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर का अधिष्ठापन करा दिया जायगा।

69.2 विद्युत चोरी के विरूद्ध धारा–135 के अन्तर्गत 12 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है तथा धारा–126 के अन्तर्गत 08 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी है। निदेश दिया गया कि छापेमारी तेज की जानी है तथा विद्युत चोरी करते पाये जाने पर गिरफ्तारी निश्चित रूप से की जानी है।

69.3 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्टिफिकेट केस में नोटिश निर्गत किया गया है तथा नोटिश तामिल कराये जाने का कार्य प्रगति में है तत्पश्चात् बॉडी वारण्ट निर्गत किया जायगा।

69.4 जिले के एक विद्युत आपूर्त्ति प्रशाखा के कनीय विद्युत अभियन्ता निलम्बित हैं तथा दो विद्युत आपूर्त्ति प्रशाखा में कनीय विद्युत अभियन्ता का पद रिक्त है। अनुरोध किया गया कि तीन कनीय विद्युत अभियन्ताओ का पदस्थापन शीघ्र किया जाय। प्रबंध निदेशक (साउथ) ने बताया कि शीघ्र ही कनीय विद्युत अभियन्ताओं को पदस्थापित कर दिया जायगा। मीटर अधिष्ठापन के कार्य का जिलाधिकारी अपने स्तर से दैनिक समीक्षा करेंगे ताकि लक्ष्य के अनुसार इस कार्य का सम्पादन हो सके। शत–प्रतिशत मीटर रिडिंग करते हुए राजस्व संग्रहण को निश्चित रूप से बढ़ाया जाना है।

69.5 जिलाधिकारी ने बताया कि 132 के.वी. सुलतानगंज–लखीसराय संचरण लाईन का ROW की समस्या का समाधान करा दिया गया है, कार्यरत एजेन्सी इस कार्य को शीघ्र करा लें।

70. भागलपुर जिला

70.1 जिले में करीब 37000 अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर लगाया जाना है। निदेश दिया गया कि शीघ्र एजेन्सियों की संख्या बढ़ाकर अप्रैल,2013 तक निश्चित

रूप से सभी अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर अधिष्ठापित कर दिया जाना है।

70.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मार्च,2013 में निश्चित रूप से सभी 133 अमीटरीकृत सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर का अधिष्ठापन करा दिया जायगा तथा अप्रैल,2013 से सभी सरकारी उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण मीटर पठन के आधार पर सुनिश्चित करा दिया जायगा।

70.3 विद्युत चोरी के विरूद्ध धारा–135 के अन्तर्गत 24 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है तथा 05 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। धारा–126 के अन्तर्गत 18 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी है।

70.4 सर्टिफिकेट केस के टॉप 20 मामलों में से 11 मामले में बॉडी वारण्ट निर्गत किया गया है।

70.5 जिले में रिकंडक्टरिंग कार्य की गति धीमी है। निदेश दिया गया कि मार्च,2013 में मासिक लक्ष्य के अनुसार निश्चित रूप से रिकंडक्टरिंग का कार्य कराया जाना है।

70.6 जिले के चार प्रखंडों में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु सरकारी जमीन उपलब्ध है। इसमाईलपुर पावर सब–स्टेशन हेतु सरकारी जमीन के हस्तान्तरण का प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेज दिया गया है। खरिक पावर सब–स्टेशन हेतु जो सरकारी जमीन चिन्हित किया गया था उसे अनुपयुक्त बताया गया क्योंकि उसकी चौड़ाई मात्र 20 फीट है, दूसरा सरकारी जमीन का प्रस्ताव भेजा गया है। नाथनगर पावर सब–स्टेशन हेतु सरकारी जमीन के हस्तान्तरण का प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेज दिया गया है। गोपालपुर पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु सरकारी जमीन का प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा लौटा दिया गया कि क्योंकि कृषि विभाग यह जमीन देने के लिए सहमत नहीं है। अन्य जमीन चिन्हित किये जाने की प्रक्रिया में है।

70.7 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 15.02.2013 को आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल की अध्यक्षता में बूनकरों के यहाँ विद्युत विपत्र बकाये के संबंध में बैठक की गयी थी जिसमें बूनकरों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। निदेश दिया गया कि पुनः बूनकरों के प्रतिनिधि से वार्त्ता की जाय और बकाया राशि भुगतान करने का प्रयास किया जाय।

70.8 अध्यक्ष–सह–प्रबंधक निदेशक ने कहा कि अलीगंज एवं नाथनगर में नये विद्युत संबंध हेतु 2038 आवेदन लम्बित है इसका निष्पादन शीघ्र कराया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि नये विद्युत संबंध के आवेदनों का निष्पादन अतिशीघ्र करा दिया जायगा।

71. बाँका जिला

71.1 जिले के शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 07 घण्टा एवं 05 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

71.2 जिले में करीब 15000 अमीटरीकृत उपभोक्ता है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि निश्चित रूप से अप्रैल,2013 तक सभी उपभोक्ताओं के यहाँ मीटर का अधिष्ठापन करा दिया जायगा।

71.3 जिले के 13 अमीटरीकृत सरकारी उपभोक्ताओं के यहाँ शीघ्र मीटर अधिष्ठापित कर दिया जायगा।

71.4 विद्युत चोरी के विरूद्ध धारा–135 में 11 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है तथा धारा–126 के अन्तर्गत 17 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गयी है। निदेश दिया गया कि विद्युत चोरी के विरूद्ध छापेमारी को तेज किया जाना है तथा बिजली की चोरी करनेवालों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी है।

71.5 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि फूलीडुमर पावर सब–स्टेशन हेतु सरकारी जमीन का प्रस्ताव भेज दिया गया है।

71.6 जिलाधिकारी ने बताया कि अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु 2400 एकड़ जमीन चिन्हित कर लिया गया है।

71.7 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 08 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें से तीन राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर लघु जल संसाधन विभाग को सौप दिया गया है तथा पाँच राजकीय नलकूपों के ऊर्जान्वयन का कार्य प्रगति में है।

71.8 प्रबंध निदेशक (साउथ) ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि बाँका में बन रहे टी. आर.डब्ल्यू. के कार्यों की समीक्षा अपने स्तर से कर लेंगे।

72. ऊर्जा सचिव द्वारा बताया गया कि मुख्य सचिव स्तर पर बड़े बकाये वालें सरकारी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव के साथ बैठक हो चुकी है तथा मुख्य सचिव ने निदेश दिया है कि सरकारी विभाग पर बिजली विपत्र के बकाये राशि है उसमें से डी.पी.एस. की राशि छोड़ कर शेष राशि का आवंटन क्षेत्रीय कार्यालयों को अविलंब दे दी जानी है तथा क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा निश्चित रूप से मार्च, 2013 में भुगतान कर दिया जाना है। यह भी निदेश दिया गया कि मार्च में अगर किसी विभाग द्वारा विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं किया जाता है तो अप्रैल से विद्युत संबंध विच्छेद कर दिया जाना है।

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव।

ज्ञापांकः–प्र02/विविध–वि0को0–19/12 1581 पटना, दिनांक– 14/3/13

प्रतिलिपि :–सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/13

सरकार के उप सचिव,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।